संख्या– 22 / 2023 / 1690 / 77–6–2023–1(एम) / 2022 T. C

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ.प्र. शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ.प्र.।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ.प्र.।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा / नोएडा / ग्रेटर नोएडा / यूपीडा / यीडा / गीडा / सीडा।

औद्योगिक विकास अनुभाग–6 **लखनऊ : दिनांक 02 मई, 2023**

विषय : उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति–2022 के अंतर्गत "विनिर्माण इकाइयों तथा चार्जिंग सेवा इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु दिशा–निर्देश एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया" निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में अवगत कराना है कि राज्य सरकार अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने हेतु मिशन के अंतर्गत नवीन व नवोदय क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयत्नशील है। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग वैश्विक स्तर पर तीव्र गति से विस्तारित हो रहा है। इस नए क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने, निवेश आकर्षित करने तथा सतत् विकास में योगदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं.–41 / 2022 / 2596 / 77–6–2022–1(एम) / 2022 दिनांक 14.10.2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति–2022 के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जा रही है:–

1. प्रस्तावना

1.1. यह शासनादेश औद्योगिक विकास अनुभाग–6 के आदेश सं0–41 / 2022 / 2596 / 77–6–2022–1(एम) / 2022 दिनांक 14.10.2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति–2022 के अन्तर्गत परिभाषित वित्तीय प्रोत्साहनों के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश है।

2. परिभाषाएं

2.1. **प्रभावी तिथि** (Effective Date) का अभिप्राय उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति–2022 के प्रभावी होने की तिथि अर्थात दि0 14.10.2022 से है। (14.10.2022 से 13.10.2027 तक)

2.2. **प्रभावी अवधि** (Effective Period) का अभिप्राय राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले संशोधन/निरसन के अधीन नीति की प्रभावी तिथि से अगले 05 वर्ष तक से है।

2.3. **विनिर्माण इकाई** (Manufacturing unit) का अभिप्राय किसी कंपनी, साझेदारी फर्म के रूप में गठित इकाई के स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम (संयुक्त क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम को छोड़ कर, जिसमें सरकार अथवा सरकारी उपक्रम की शेयर पूंजी 50 प्रतिशत अथवा अधिक हो), एलएलपी, सोसायटी, ट्रस्ट, औद्योगिक सहकारी समिति, स्वामित्व वाली संस्था (Proprietary concern) से है, जो विनिर्माण, उत्पादन, प्रोसेसिंग, कॉण्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग अथवा आर्टिकल्स के जॉबवर्क में कार्यरत हों तथा नवीन अथवा विस्तारीकरण अथवा विविधीकरण परियोजना के रूप में स्थापित हों।

अ) यहां **'विनिर्माण'** का अभिप्राय कच्चे माल अथवा इनपुट (Input) की किसी प्रकार की प्रोसेसिंग से है, जिसके परिणामस्वरूप एक नवीन उत्पाद विनिर्मित होता है, जिसका एक विशिष्ट नाम, विशेषता तथा उपयोग होता है एवं इसमें विनिर्माण, उत्पादन, प्रोसेसिंग, अनुबंध विनिर्माण (Contract manufacturing) अथवा इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकाइयों, इलेक्ट्रिक वाहनों के कम्पोनेंट्स की विनिर्माण इकाइयों, चार्जिंग/बैटरी एवं इसके उपकरणों की विनिर्माण इकाइयों एवं बैटरी विनिर्माण इकाइयों एवं इससे संबंधित वस्तुओं/उत्पादों का विनिर्माण एवं जॉब वर्क सम्मिलित है।

ब) **'जॉब वर्क'** का अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के उत्पादों पर किए गए किसी प्रकार के उपचार अथवा प्रोसेसिंग से है।

2.4. **विस्तारीकरण** (Expansion) का अभिप्राय एक ऐसी विद्यमान विनिर्माण इकाई से है, जो नवीन पूंजी निवेश के माध्यम से अपने सकल ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करती है।

2.5. **विविधीकरण** (Diversification) का अभिप्राय एक ऐसी विद्यमान विनिर्माण इकाई से है, जो वर्तमान उत्पाद से पूर्णरूपेण पृथक प्रकृति के उत्पाद (जो किसी विद्यमान उत्पाद का दूसरा स्वरूप नहीं हो) का विनिर्माण करती है। इसके अतिरिक्त, विविधीकरण के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए, विनिर्माण इकाई को अपने ग्रॉस ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत् की वृद्धि करनी होगी अथवा नए पूंजी निवेश के माध्यम से इस नीति में पारिभाषित मेगा अथवा उससे उच्च श्रेणी की परियोजना के रूप में अर्हता प्राप्त करनी होगी।

2.6. **'सेवा इकाइयों'** (Service Units) का अभिप्राय किसी भी निजी स्वामित्वाधीन इलेक्ट्रिक वाहनों के सार्वजनिक (Public) चार्जिंग स्टेशन/स्वैपिंग स्टेशन/बैटरी रिसाइक्लिंग के सेवा प्रदाता से है, जो एक परिसर में स्थित भू–खण्ड के सीमा से लगे हुए भू–खण्ड (Contiguous Land Parcel) में स्थापित हों।

2.7. **विनिर्माण इकाई के लिए स्थायी पूंजी निवेश (एफसीआई–एम)** (Fixed Capital investment for manufacturing unit - FCI-M) का अभिप्राय पात्र निवेश

अवधि के भीतर भूमि, भवन, प्लांट व मशीनरी, उपयोगी सुविधाओं (Utilities), टूल्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपकरणों तथा ऐसी अन्य परिसंपत्तियों (Assets) में किए गए निवेश से है, जो अंतिम उत्पाद (End Product) के विनिर्माण हेतु आवश्यक है तथा जिसमें निम्नलिखित लागत सम्मिलित है–

क	**भूमि**	भूमि के पंजीकृत अभिलेख (Registered document) यथा हस्तांतरण/विक्रय विलेख के अनुसार (स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण चार्जेज को छोड़कर) 'वास्तविक क्रय मूल्य' को परियोजना के लिए भूमि की लागत के रूप में माना जाएगा। यदि भूमि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य संस्था द्वारा आवंटित की जाती है, तो भुगतान किए गए वास्तविक आवंटन मूल्य (Actual allotment price) को भूमि की लागत (स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण चार्जेज़ को छोड़कर) के रूप में माना जाएगा। यदि भूमि निजी स्रोतों से प्राप्त की जाती है, तो (स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण चार्जेज़ को छोड़कर) भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य को भूमि की लागत के रूप में माना जाएगा। कुल स्थायी पूंजी निवेश (FCI-M) का अधिकतम 10 प्रतिशत ही पूंजी निवेश के 'भूमि घटक' के रूप में विचार किया जाएगा।
ख	**भवन**	भवन का अभिप्राय ऐसे नवीन भवन से है, जो परियोजना हेतु निर्मित किया गया हो। इसमें प्रशासनिक भवन भी सम्मिलित होगा। प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, आंतरिक (इन–हाउस) परीक्षण सुविधाओं, भंडारण सुविधाओं एवं विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित अन्य भवनों की लागत पर किए गए वास्तविक व्यय के अनुसार विचार किया जाएगा। कुल स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 10 प्रतिशत, पूंजी निवेश के 'भवन घटक' के रूप में विचार किया जाएगा।
ग	**अन्य निर्माण**	अन्य निर्माण का अभिप्राय परिसर की दीवार एवं गेट, सुरक्षा केबिन, आंतरिक सड़कें, बोरवेल, वॉटर टैंक, जल एवं गैस के लिए आंतरिक पाइपलाइन नेटवर्क तथा अन्य संबंधित निर्माण से है।
घ	**प्लांट एवं**	प्लांट एवं मशीनरी का अभिप्राय नवीन स्वदेशी/आयातित प्लांट व मशीनरी, उपयोगी सुविधाओं (Utilities) से है। इसमें परिवहन की लागत, नींव, परिनिर्माण (erection), अधिष्ठापन (installation) तथा विद्युतीकरण की लागत सम्मिलित होगी। विद्युतीकरण की लागत में विद्युत उपकेंद्र (Sub-station) एवं ट्रांसफॉर्मर की लागत सम्मिलित होगी। ऐसे अन्य टूल्स एवं उपकरण, जो उत्पादन के लिए सहायक हैं, को भी सम्मिलित किया जाएगा। प्लांट व मशीनरी में निम्न भी सम्मिलित हो सकते हैं– 1. गैर–पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन हेतु प्लांट

	मशीनरी	2. केवल औद्योगिक इकाई के परिसर के भीतर परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन तथा ऐसे परिसर के भीतर माल के परिवहन में विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले सामग्री प्रबंधन उपकरण (Material handling equipment) 3. स्वयं के उपयोग के लिए कैप्टिव विद्युत उत्पादन हेतु स्थापित प्लांट 4. प्रदूषण नियंत्रण के उपायों हेतु स्थापित प्लांट 5. अपशिष्ट प्रबंधन (Waste management) हेतु प्लांट (बैटरी निस्तारण/रिसाइक्लिंग/सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (material recovery facility)/जल उपचार सहित) 6. परीक्षण सुविधाएं (बैटरी परीक्षण सहित)
ङ	**अवस्थापना** (Infrastructure) **सुविधाएं**	अवस्थापना सुविधाओं का अभिप्राय ऐसी नई सड़कों, सीवर लाइनों, जल–निकासी, विद्युत लाइनों, (इकाई के संचालन के लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं सहित) अवस्थापना से है, जो उद्यम के परिसर को मुख्य अवस्थापना ट्रंक लाइनों (Main infrastructure trunk lines) को जोड़ती हैं।

2.8. **सेवा इकाई** (Service Unit) **हेतु स्थाई पूंजी निवेश (एफसीआई–एस)** का अभिप्राय पात्र निवेश अवधि के भीतर (भूमि लागत को छोड़कर) भवन, सिविल कार्यों, चार्जर, बैटरी उपकरण, उपयोगी सुविधाओं, उपकरणों एवं अन्य ऐसी परिसंपत्तियों (Assets) में किए गए निवेश से है, जो बैटरी चार्जिंग/स्वैपिंग की सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। सिविल कार्य के निर्माण की लागत कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें बैटरी चार्जिंग/स्वैपिंग स्टेशन के एक ही परिसर में रिसाइक्लिंग सुविधाओं, बैटरी संग्रह केंद्रों एवं निस्तारण सुविधाओं की स्थापना के लिए भवन और उपकरण भी सम्मिलित हैं।

2.9. **विनिर्माण इकाइयों हेतु पूंजी निवेश की गणना में सम्मिलित नही की जाने वाली मदें** (Ineligible Capital Investment for Manufacturing Units) – कार्यशील पूंजी (Working capital); गुडविल; प्रारंभिक एवं संचालन से पूर्व व्यय; पूंजीकृत ब्याज (Interest Capitalised); प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी के अधिग्रहण के लिए लेखा–पुस्तकों में अंकित पूंजीकृत व्यय (Expenses Capitalised); कंसल्टेंसी शुल्क; रॉयल्टी; डिजाइन एवं ड्रॉइंग्स; पेटेंट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एवं बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual property rights) तथा विद्युत उत्पादन (कैप्टिव उपयोग को छोड़कर, जैसा कि इस नीति में पारिभाषित पूंजी निवेश के प्लांट व मशीनरी मद के अंतर्गत उल्लेख किया गया है) को अपात्र पूंजी निवेश माना जाएगा। पूंजी निवेश की गणना के लिए उक्त मदों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.10. **सेवा इकाइयों** (Service Units) **हेतु पूंजी निवेश की गणना में सम्मिलित नही की जाने वाली मदें** (Ineligible Capital Investment for Sevice Units) – कार्यशील पूंजी (Working capital); गुडविल; प्रारंभिक एवं संचालन से पूर्व व्यय; पूंजीकृत ब्याज (Interest Capitalised); प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी के

अधिग्रहण के लिए लेखा–पुस्तकों में अंकित पूंजीकृत व्यय (Expenses Capitalised); कंसल्टेंसी शुल्क; रॉयल्टी; डिजाइन एवं ड्रॉइंग्स; पेटेंट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एवं बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual property rights) तथा (कैप्टिव उपयोग को छोड़कर) विद्युत उत्पादन को अपात्र पूंजी निवेश माना जाएगा। पूंजी निवेश की गणना के लिए उक्त मदों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.11. **विनिर्माण इकाइयों हेतु परियोजना श्रेणी** (Project Category for Manufacturing units)– प्रोत्साहन–लाभ वितरण हेतु निवेश प्रतिबद्धता–आधारित (Investment commitment-based) **परियोजना श्रेणियां** निम्नलिखित है। प्रत्येक परियोजना श्रेणी के अंतर्गत पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम पूंजी निवेश को संबंधित श्रेणियों के लिए निवेश की सीमा (Threshold Investment) कहा जाएगा।

परियोजना – निवेश की सीमा (Threshold Limits)		
श्रेणी	**परियोजना का प्रकार**	**मानदंड (Criteria)**
एकीकृत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परियोजना (Integrated EV Project)	'ऐसी विनिर्माण इकाई', जो निम्न में से कम से कम 02 उत्पादों के विनिर्माण में लगी हो– ईवी विनिर्माण / ईवी बैटरी/ईवी या ईवी बैटरी कम्पोनेंट्स /परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास	₹3,000 करोड़ अथवा उससे अधिक के पात्र स्थायी पूंजी निवेश वाली विनिर्माण इकाई
अल्ट्रा–मेगा बैटरी परियोजना (Ultra Mega Battery Project)	'ऐसी विनिर्माण इकाई', जो बैटरी का विनिर्माण करती हो तथा जिसकी न्यूनतम उत्पादन क्षमता 01 जीडब्ल्यूएच (GwH) हो।	₹1,500 करोड़ अथवा उससे अधिक के पात्र स्थायी पूंजी निवेश वाली विनिर्माण इकाई
मेगा ईवी परियोजना (Mega EV project)	'ऐसी विनिर्माण इकाई', जो ईवी अथवा ईवी से सम्बन्धित कम्पोनेंट्स के विनिर्माण में लगी हो।	₹500 करोड़ अथवा उससे अधिक के पात्र स्थायी पूंजी निवेश वाली विनिर्माण इकाई
मेगा ईवी बैटरी परियोजना (Mega EV Battery Project)	'ऐसी विनिर्माण इकाई', जो ईवी बैटरी अथवा सम्बन्धित कम्पोनेंट्स के विनिर्माण में लगी हो।	₹300 करोड़ अथवा उससे अधिक के पात्र स्थायी पूंजी निवेश वाली विनिर्माण इकाई
वृहद् ईवी परियोजना (Large EV Project)	'ऐसी विनिर्माण इकाई', जो ईवी विनिर्माण ईवी कम्पोनेंट्स के विनिर्माण में लगी हो।	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) श्रेणी से अधिक, किन्तु मेगा ईवी श्रेणी से कम पात्र स्थायी पूंजी निवेश वाली विनिर्माण इकाई
वृहद् बैटरी	'ऐसी विनिर्माण इकाई', जो	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

परियोजना (Large Battery Project)	बैटरी विनिर्माण एवं बैटरी कम्पोनेंट्स के विनिर्माण में लगी हो।	(एमएसएमई) श्रेणी से अधिक, किन्तु मेगा ईवी श्रेणी से कम पात्र स्थायी पूंजी निवेश वाली विनिर्माण इकाई
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) परियोजना (MSME Project)	'ऐसी विनिर्माण इकाई', जो ईवी विनिर्माण तथा/अथवा ईवी बैटरी तथा/अथवा ईवी/ईवी बैटरी कम्पोनेंट्स के विनिर्माण में लगी हो।	भारत सरकार के एमएसएमईडी (MSMED) अधिनियम 2020 के अनुसार पात्र स्थायी पूंजी निवेश वाली विनिर्माण इकाई

2.12. **सेवा इकाइयों (Service Units) हेतु परियोजना श्रेणी** : प्रोत्साहन–लाभ प्रदान करने के लिए निम्नलिखित परियोजना–श्रेणियों की पहचान की गई है। प्रत्येक परियोजना श्रेणी के अंतर्गत पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम पूंजी निवेश को संबंधित श्रेणियों के लिए निवेश की सीमा (Threshold Investment) कहा जाएगा।

क) **चार्जिंग स्टेशन**, अर्थात कोई भी निजी स्वामित्वाधीन, डिस्कॉम स्वामित्वाधीन तथा निवेशक स्वामित्वाधीन चार्जिंग हेतु समर्पित (dedicated) सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (Fast/Slow charging), जो किसी भी सार्वजनिक/निजी उपयोग वाले ईवी अथवा ईवी बेड़े को चार्ज करने के लिए उपयोग किया जाए तथा स्वतंत्र/पृथक गृहों (Independent homes), आवासीय भवनों के समूह (Group residential buildings), कार्यालय, सार्वजनिक स्थान या डेडिकेटेड पार्किंग भूमि में स्थापित किया गया हो तथा स्व–संचालित (Self-operated) अथवा सीपीओ–प्रबंधित (चार्ज प्वाइंट ऑपरेटर प्रबंधित) हो एवं जिसमें (भूमि लागत को छोड़कर) ₹25 लाख अथवा उससे अधिक का स्थायी पूंजी निवेश किया गया हो। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय एवं भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर संशोधित मानदंडों का पालन चार्जिंग स्टेशन द्वारा किया जाएगा।

ख) **स्वैपिंग स्टेशन**, अर्थात बैटरी स्वैपिंग की सुविधा प्रदान करने वाली सेवा इकाईयां (Servicce Units), जिसमें ₹15 लाख व उससे अधिक (भूमि लागत को छोड़कर) की स्थायी पूंजी लगी हो। नीति आयोग, संघीय सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर संशोधित दिशा–निर्देशों का पालन स्वैपिंग स्टेशन द्वारा किया जाएगा।

2.13. **विनिर्माण इकाइयों हेतु कट–ऑफ तिथि** का अभिप्राय–

क) यदि निवेश, नीति की प्रभावी तिथि को अथवा उसके पश्चात प्रारम्भ होता है, तो नीति की प्रभावी अवधी में निवेश प्रारम्भ होने की तिथि से है।

ख) यदि निवेश नीति की प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारम्भ होता है, तो इस नीति की प्राभावी तिथि से है। यदि केवल भूमि नीति की प्रभावी तिथि से पूर्व अर्जित की जाती है, तो औद्योगिक उपक्रम द्वारा पूजी निवेश के अन्तर्गत परिभाषित किसी अन्य मद (भूमि को छोडकर) में नीति की प्रभावी तिथि को अथवा उसके पश्चात किए गए प्रथम निवेश की तिथि से है।

2.14. **सेवा इकाइयों (Service Units) हेतु कट–ऑफ तिथि** का अभिप्राय निति की प्रभावी अवध में निवेश (भूमि को छोडकर) प्रारम्भ होने की तिथि से है एवं निवेश नीति की प्रभावी तिथि को अथवा उसके पश्चात होना चाहिए।

2.15. **विनिर्माण इकाइयों हेतु पात्र निवेश अवधि (ईआईपी)**(Eligible Investment Period (EIP) for Manufacturing units)का अभिप्राय निवेश पूर्ण करने की अवधि से है।

(क) **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) परियोजनाओं हेतु**– नीति की प्रभावी अवधि के भीतर पात्र निवेश अवधि में निवेश की प्रथम तिथि से प्रारम्भ होकर 03 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने की स्वीकार्य तिथि तक (जो भी पहले हो) की अवधि ईआईपी होगी।

(ख) **वृहद् परियोजनाओं हेतु**– नीति की प्रभावी अवधि के भीतर पात्र निवेश अवधि (ईआईपी), में निवेश की प्रथम तिथि से आरम्भ हो कर 04 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने की स्वीकार्य तिथि तक (जो भी पहले हो) की अवधि ईआईपी होगी।

(ग) **मेगा परियोजनाओं हेतु**– नीति की प्रभावी अवधि के भीतर पात्र निवेश अवधि (ईआईपी), में निवेश की प्रथम तिथि से आरम्भ हो कर 05 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने की स्वीकार्य तिथि तक (जो भी पहले हो) की अवधि ईआईपी होगी।

(घ) **अल्ट्रा मेगा बैटरी / एकीकृत ईवी परियोजना हेतु**– नीति की प्रभावी अवधि के भीतर पात्र निवेश अवधि (ईआईपी), में निवेश की प्रथम तिथि से आरम्भ हो कर 07 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने की स्वीकार्य तिथि तक (जो भी पहले हो) की अवधि ईआईपी होगी।

नोट– इसमें ऐसे प्रकरण भी पूंजी निवेश के अनतर्गत सम्मिलित होंगे, जिनमें निवेश प्रारंभ करने की तिथि (सभी श्रेणियों के लिए) प्रभावी तिथि से गत 03 वर्षों के अन्दर हो तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रभावी तिथि के बाद प्रारम्भ हो। शर्त यह होगी कि पूंजी निवेश का न्यूनतम 80 प्रतिशत प्रभावी तिथि के पश्चात किया गया हो।
यद्यपि, पूंजी निवेश के भूमि घटक में प्रभावी तिथि से गत 03 वर्ष से पहले किया गया निवेश, पूंजी की गणना करने हेतु अनुमन्य होगा। भूमि में प्रकार के निवेश का मूल्य भूमि क्रय किए जाने के समय बुक–वैल्यू

पर माना जाएगा तथा इसके पश्चात भूमि का किया गया कोई भी पुनर्मूल्यांकन मान्य नहीं होगा।

2.16 **सेवा इकाइयों** (Service Units) **हेतु पात्र निवेश अवधि (ईआईपी)** का अभिप्राय निवेश पूर्ण करने की अवधि से है। ईआईपी, (भूमि को छोड़ कर) प्रभावी अवधि में निवेश की प्रथम तिथि से प्रारंभ हो कर 05 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक संचालन आरम्भ होने की स्वीकार्य तिथि तक (जो भी पहले हो) की अवधि ईआईपी होगी।

2.17 **विनिर्माण इकाइयों हेतु पात्र स्थायी पूंजी निवेश (ईएफसीआई–एम)** (Eligible Fixed Capital Investment for Manufacturing units - EFCI-M) का अभिप्राय ऐसे पूंजी निवेश से है, जो किसी परियोजना द्वारा नीति की प्रभावी तिथि के उपरांत अपनी पात्र निवेश अवधि में किया गया हो। यदि किसी परियोजना द्वारा पूंजी निवेश, प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारंभ किया गया है, तो इस प्रकार के पूंजी निवेश का न्यूनतम 80 प्रतिशत, नीति की प्रभावी तिथि के पश्चात किया जाना होगा तथा उसी पूंजी निवेश को स्वीकार्य प्रोत्साहन निर्धारित करने के लिए पात्र पूंजी निवेश के रूप में माना जाएगा। किन्तु, परियोजना हेतु निवेश की श्रेणी (एमएसएमई/वृहद/मेगा/अल्ट्रा मेगा/एकीकृत परियोजना) निर्धारित करने के लिए, पात्र निवेश अवधि (ईआईपी) में, जैसा कि निवेशित पूंजी की गणना (Enumerated) की गई हो, पूंजी निवेश पर विचार किया जाएगा।

2.18 **चरणबद्ध निवेश** (Phased Investment) करने वाली विनिर्माण इकाई भी इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन–लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी, शर्त यह है कि प्रथम चरण के वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने की तिथि से पूर्व आवेदन प्राप्त हुए हों।

क) ऐसे प्रकरणों में, संबंधित प्रात्साहन Threshold Investment को पूरा करने तथा संबंधित चरण, जिसमें Threshold Investment पूर्ण किया गया हो, के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद ही वितरित किए जाएगें।

ख) चरणबबद्ध अतिरिक्त (Additional) पात्र पूंजी निवेश पर इकाई सुसंगत Incremental प्रोत्साहन (Incremental Incentives) की पात्र होगी, यद्यपि पात्र निवेश अवधि नीति के अनुसार ही रहेगी।

2.19 **सेवा इकाइयों** (Service Units) **हेतु पात्र स्थायी पूंजी निवेश (ईएफसीआई–एस)** का अभिप्राय नीति की पात्र निवेश अवधि के दौरान किसी परियोजना द्वारा किए गए स्थायी पूंजी निवेश से है।

2.20 **Incremental टर्नओवर** (परियोजना के विस्तारीकरण के प्रकरण में) का अभिप्राय विस्तारीकरण के उपरांत वर्तमान टर्नओवर तथा औसत बेस टर्नओवर के अंतर से है, जहां औसत बेस टर्नओवर का तात्पर्य गत् 05 वित्तीय वर्षों में टर्नओवर (या इससे कम, यदि इकाई 05 वर्ष से कम अवधि हेतु उत्पादनरत् है), (अर्थात एकल–चरण परियोजना के प्रकरण में उस वित्तीय वर्ष से पूर्व के 05 वर्ष की

अवधि, जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि आती है, अथवा बहु–चरण परियोजना के प्रकरण में प्रथम चरण के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 05 वर्ष पूर्व)।

2.21 **कर्मचारियों** (Employees) का अभिप्राय प्रत्यक्ष रूप से आबद्ध कर्मियों एवं संविदा श्रमिकों से है, जिनके द्वारा समस्त कार्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन निष्पादित किए जाते हैं तथा जिन्हें इस नीति के अंतर्गत कौशल विकास उपादान के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु 'कर्मचारियों' के रूप में माना जाएगा–

क) **प्रत्यक्ष कर्मचारियों** (Direct Employees) का अभिप्राय उन कर्मचारियों से है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट सीधे कंपनी के साथ हुआ है।

ख) **संविदा (ठेका) श्रमिक** (Contract labour) का अभिप्राय उन कर्मचारियों से है, जो किसी ठेकेदार के माध्यम से किसी प्रतिष्ठान के कार्य या 'सेवा हेतु अनुबंध' (Contract for service) के संबंध में नियोजित किए गए हैं, अथवा ऐसे व्यक्ति, जिन्हें ठेकेदार द्वारा आबद्ध किया गया है तथा उनका पर्यवेक्षण (Supervise) किया जाता है एवं पारिश्रमिक दिया जाता है, जिसके बदले में कंपनी द्वारा प्रतिपूर्ति (Compensate) की जाती है। संविदा श्रमिक को ठेकेदार के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरी मिल सकती है, यद्यपि, अनुबंध में निम्नलिखत सम्मिलित नहीं होंगे –

i. अस्थायी श्रमिक एवं अस्थायी कर्मचारी (Casual labourers and temporary workers)

ii. आउट–वर्कर्स, अर्थात्– एक व्यक्ति जिसको मुख्य नियोक्ता (Employer) द्वारा अथवा उसकी ओर से कोई वस्तु अथवा सामग्री बनाने, साफ करने, धोने, परिवर्तित करने, अलंकृत करने, तैयार करने, मरम्मत करने, अनुकूलित करने (Adapted) अथवा मुख्य नियोक्ता के व्यापार अथवा व्यवसाय के प्रयोजनों हेतु विक्रय के लिए अन्यथा प्रोसेस करने के लिए सामग्री दी जाती है तथा प्रक्रिया या तो आउट–वर्कर के आवास पर या किसी अन्य परिसर में की जाती है, जो परिसर मुख्य नियोक्ता के नियंत्रण एवं प्रबंधन के अंतर्गत नहीं है।

iii. परियोजना–परिसर के स्थल पर कार्य नहीं किया जा रहा हो।

ग) ऊपर परिभाषित प्रत्यक्ष कर्मचारी एवं संविदा श्रमिक कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से आच्छादित होने चाहिए।

2.22 **पात्र विनिर्माण इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि** का अभिप्राय उस तिथि से है, जिस तिथि को पात्र विनिर्माण इकाई वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करती है, इसका निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा–

(क) यह वह तिथि होगी, जिस को आवेदक द्वारा प्रथम जीएसटी चालान (Invoice) जेनरेट किया जाता है (Trail Production पर विचार नहीं किया जाएगा), जिसको इन्वेस्ट यूपी में गठित पीआईयू में तैनात वाणिज्य कर

विभाग, उ.प्र. शासन के अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र अथवा इन्वेस्ट यूपी में सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

अथवा

(ख) IEM (औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन) भाग–बी के अनुसार तिथि, जिसको उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र अथवा इन्वेस्ट यूपी में सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

2.23 **पात्र सेवा इकाइयों** (Eligible Service Units) **द्वारा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने की तिथि** का अभिप्राय उस तिथि से है, जिस तिथि को पात्र सेवा इकाई (Service Unit) के नाम पर जारी प्रथम विद्युत बिल के अनुसार पात्र सेवा इकाई (Service Unit) द्वारा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ किया गया हो। उक्त तिथि को सुसंगत विद्युत वितरण कंपनी (DISCOM) द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा सम्बन्धित उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

2.24 **लेटर ऑफ कम्फर्ट** का अभिप्राय नीति के अंतर्गत पात्र औद्योगिक इकाईयों को प्रभावी अवधि के भीतर स्वीकार्य प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के दावे का राज्य सरकार के स्वीकृत प्राधिकारी (Sanctioning authority as defined in para 2.27) द्वारा अनुमोदित निर्गत पत्र से है।

2.25 **स्वीकृति पत्र** (Sanction Letter) का अभिप्राय नीति के अंतर्गत प्रभावी अवधि के भीतर राज्य सरकार के स्वीकृति प्राधिकारी (Sanctioning authority) से स्वीकार्य प्रोत्साहन (Admissible incentives) के लाभ का दावा करने के लिए पात्र सेवा इकाइयों (Service Units) को प्रदान किए जाने वाले औपचारिक अनुमोदन–पत्र से है।

2.26. **नोडल एजेन्सी का** अभिप्राय नीति क प्रस्तर–5.2 के उप प्रस्तर–9 के अनुसार प्रोत्साहन हेतु आवेदनों पर कार्यवाही के लिए 'इनवेस्ट यूपी' से है।

2.27. **स्वीकृति प्राधिकारी** (Sanctioning authority) का अभिप्राय नीति के प्रस्तर– 5.4 के उपप्रस्तर– 5(घ) के अनुसार वृहद् श्रेणी की स्वीकृति एवं वितरण हेतु मा0 उद्योग मंत्री, उ0प्र0 शासन से है तथा नीति के प्रस्तर–5.4 के उपप्रस्तर– 6(घ) के अनुसार मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी हेतु मा0 मंत्रिपरिषद, उ0प्र0शासन से है।

3. स्वीकार्य प्रोत्साहन–लाभ (Admissible Incentieves)

3.1. <u>पात्र विनिर्माण परियोजनाओं हेतु</u>

3.1.1. पूंजीगत उपादान (Capital Subsidy)

3.1.1.1. उ.प्र. इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति–2022 के प्रस्तर 5.3 के अनुसार पूंजीगत उपादान निम्नलिखित दरों पर अनुमन्य होगा–

क्रमसं.	श्रेणी	मानदंड	पूंजीगत उपादान	उपादान की अवधि
1	एकीकृत ईवी परियोजना	₹3,000 करोड़ अथवा उससे अधिक के निवेश वाली केवल प्रथम 02 परियोजनाओं हेतु मान्य	प्रति परियोजना अधिकतम ₹1000 करोड़ की सीमा के अधीनपात्र स्थायी निवेश के 30 प्रतिशत की दर से	20 वर्षों में
2	अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजना	₹1,500 करोड़ अथवा उससे अधिक के निवेश तथा 01 GwH की न्यूनतम उत्पादन क्षमता वाली केवल प्रथम 02 परियोजनाओं हेतु मान्य	प्रति परियोजना अधिकतम ₹1000 करोड़ की सीमा के अधीनपात्र स्थायी निवेश के 30 प्रतिशत की दर से	20 वर्षों में
3	मेगा ईवी परियोजना	₹500 करोड़ अथवा उससे अधिक के निवेश वाली केवल प्रथम 05 परियोजनाओं हेतु मान्य	प्रति परियोजना अधिकतम ₹500 करोड़ की सीमा के अधीनपात्र स्थायी निवेश के 20 प्रतिशत की दर से	10 वर्षों में
4	मेगा ईवी बैटरी परियोजना	₹300 करोड़ अथवा उससे अधिक के निवेश वाली केवल प्रथम 05 परियोजनाओं हेतु मान्य	प्रति परियोजना अधिकतम ₹500 करोड़ की सीमा के अधीनपात्र स्थायी निवेश के 20 प्रतिशत की दर से	10 वर्षों में
5	वृहद् ईवी परियोजना	एमसएमई श्रेणी से अधिक, किन्तु मेगा ईवी/मेगा बैटरी श्रेणी से कम निवेश करने वाली परियोजनाओं हेतु मान्य	प्रति परियोजना अधिकतम ₹90 करोड़ की सीमा के अधीनपात्र स्थायी निवेश के 18 प्रतिशत की दर से	10 वर्षों में
6	एमएसएमई परियोजना	भारत सरकार के एमएसएमई अधिनियम–2020 के अनुसार निवेश करने वाली परियोजनाओं हेतु मान्य	प्रति परियोजना अधिकतम ₹5 करोड़ की सीमा के अधीनपात्र स्थायी निवेश के 10 प्रतिशत की दर से	02 वर्षों में
उपादान समान वार्षिक किस्तों में प्रदान किया जाएगा				

3.1.1.2. **पूंजीगत उपादान को सकल क्षमता उपयोग गुणक–जीसीएम** (Gross Capacity Utilisation Multiple - GCM) से गुणा किया जाएगा, जीसीएम की गणना निम्नानुसार की जाएगी–

i. प्रथम वर्ष के लिए जीसीएम 1 माना जाएगा, यदि इकाई के वास्तविक उत्पादन तथा स्थापित क्षमता का अनुपात 40 प्रतिशत हो।

ii. यदि प्रथम वर्ष में इकाई के वास्तविक उत्पादन तथा स्थापित क्षमता का अनुपात 40 प्रतिशत से कम है, तो जीसीएम को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा–

जीसीएम= न्यूनतम (40%, विचाराधीन वर्ष का अधिकतम क्षमता उपयोग) ÷ 40%

iii. अनुवर्ती वर्षों के लिए जीसीएम 1 माना जाएगा, यदि इकाई के वास्तविक उत्पादन तथा स्थापित क्षमता का अनुपात 75 प्रतिशत हो।

iv. यदि इकाई के वास्तविक उत्पादन तथा स्थापित क्षमता का अनुपात 75 प्रतिशत से कम हो, तो जीसीएम को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा–

जीसीएम= न्यूनतम (75%, विचाराधीन वर्ष का अधिकतम क्षमता उपयोग) ÷ 75%

v. यदि किसी वर्ष में वास्तविक उत्पादन तथा स्थापित क्षमता का अनुपात 10 प्रतिशत से कम अथवा उसके बराबर है, तो जीसीएमशून्य होगा।

vi. चरणबद्ध निवेश के प्रकरण में, प्रत्येक चरण के बाद प्रथम् वर्ष के जीसीएम को, किए गए अतिरिक्त निवेश हेतु 1 माना जाएगा, यदि वास्तविक उत्पादन तथा अतिरिक्त स्थापित क्षमता का अनुपात न्यूनतम् 40 प्रतिशत है। अनुवर्ती वर्षों में, यदि इकाई के वास्तविक उत्पादन तथा अतिरिक्त स्थापित क्षमता का अनुपात 75 प्रतिशत है, तो जीसीएम 1 होगा तथा यदि इससे कम है, तो जीसीएमआनुपातिक रूप से कम हो जाएगा।

vii. विस्तारीकरण श्रेणी की परियोजनाओं के प्रकरण में, विद्यमान इकाई की स्थापित क्षमता वह होगी, जो उस वर्ष–विशेष से पूर्व के वर्ष में थी, जिस वर्ष में विस्तारीकरण परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ है। जीसीएम की गणना, अतिरिक्त निवेश के कारण स्थापित क्षमता के फलस्वरूप प्राप्त वृद्धिशील क्षमता उपयोग (Incremental Capacity Utilisation) के आधार पर की जाएगी।

viii. विविधीकरण श्रेणी की परियोजनाओं के प्रकरण में, जीसीएमकी गणना, अतिरिक्त निवेश के माध्यम से नए उत्पाद/उत्पादों हेतु स्थापित अतिरिक्त क्षमता के उपयोग के आधार पर की जाएगी।किसी वर्ष–विशेष में 1 से कम जीसीएमके कारण पूंजीगत उपादान में हुई कमी को आगामी वर्षों हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।

3.1.1.3. पूंजीगत उपादान किसी भी परियोजना श्रेणी हेतु ₹50 करोड़ की वार्षिक सीमा के अधीन होगा। यदि प्रति वर्ष ₹50 करोड़ की उच्च सीमा के

कारण कुल स्वीकार्य उपादान (Admissible Subsidy) को प्रत्येक श्रेणी के लिए परिभाषित अधिकतम अवधि के भीतर वितरित नहीं किया जा सकता है, तो उपादान की अवधि को अधिकतम 10 वर्ष तक इस प्रतिबंध के अधीन बढ़ाया जाएगा कि अतिरिक्त अवधि के दौरान भी वार्षिक सीमा ₹50 करोड़ प्रति वर्ष रहेगी।

3.1.2. भूमि को क्रय करने/पट्टे पर लेने पर **स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति** (Reimbursement of Stamp Duty) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात निम्नलिखित दरों पर की जाएगी –

क) उत्तर प्रदेश में एकीकृत ईवी परियोजना तथा अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजना हेतु 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति।

ख) मेगा / वृहद् / एमएसएमई परियोजनाओं (नीति में यथापरिभाषित) हेतु पूर्वांचल व बुंदेलखंड क्षेत्र में 100 प्रतिशत, मध्यांचल व पश्चिमांचल में 75 प्रतिशत (गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर जनपदों को छोड़कर) तथा गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर जनपदों में 50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति।

ग) जनपदों के क्षेत्रीय वर्गीकरण का विवरण इन शासनादेश के अनुलग्नक–5 में उल्लिखित है।

3.1.3. **गुणवत्ता प्रमाणन शुल्क की प्रतिपूर्ति** (Quality certification charges reimbursement): वृहद् एवं एमएसएमई ईवी/बैटरी परियोजनाओं को अधिकतम ₹10 लाख प्रति इकाई की सीमा के अधीन प्रमाणन प्राप्त करने के लिए भुगतान किए गए शुल्क के 50 प्रतिशत की दर से एक बार में गुणवत्ता प्रमाणन शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

3.1.4. **पेटेंट पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति** (Patent registration fees reimbursement): वृहद् एवं एमएसएमई ईवी/बैटरी परियोजनाओं हेतु स्वदेशी पेटेंट प्राप्त करने के लिए अधिकतम ₹50,000 की सीमा के अधीन तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त करने के लिए अधिकतम ₹2 लाख की सीमा के अधीन लागत/व्यय के 75 प्रतिशत की दर से पेटेंट पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति एक बार में की जाएगी।

3.1.5. **कौशल विकास उपादान** (Skill Development Subsidy): समस्त परिभाषित विनिर्माण परियोजनाओं हेतु Stipend की प्रतिपूर्ति के रूप में अधिकतम प्रथम 50 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष ₹5,000 की दर से एक बार में प्रदान किया जाएगा।

क) किसी वर्ष–विशेष में अधिकतम 10 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए उपादान का भुगतान किया जाएगा।

ख) यह प्रोत्साहन–लाभ केवल उन (इन नियमों में परिभाषित) 'कर्मचारियों' पर लागू होगा, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पूर्व न्यूनतम 12 माह की अवधि के लिए आवेदन करने वाली विनिर्माण इकाई में कार्यरत् हों।

ग) उपादान हेतु अनुमन्य होने के लिए उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन या किसी केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय या आईटीआई/पॉलिटेक्निक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

3.1.6. समस्त प्रोत्साहन–लाभ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात ही प्रदान किए जाएंगे; विनिर्माण परियोजनाओं के लिए समस्त वित्तीय प्रोत्साहनों का योग स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

3.1.7. 'प्रथम आगत–प्रथम पावत' (First come – first serve) का आधार उन परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया जाएगा, जिन्हें नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन के लिए 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' प्रदान किया जा रहा हो।

3.2. <u>सेवा इकाइयों (Service Units) हेतु</u>

3.2.1. **चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु पूंजीगत उपादान** (Capital Subsidy for setting up Charging Stations)–नीति की प्रभावी अवधि में अधिकतम ₹10 लाख प्रति इकाई की सीमा के अधीन राज्य में स्थापित होने वाले प्रथम 2,000 चार्जिंग स्टेशनों को सेवा इकाइयों (Service Units) हेतु पात्र स्थायी पूंजी निवेश (ईएफसीआई–एस) के 20 प्रतिशत की दर से पूंजीगत उपादान प्रदान किया जाएगा।

3.2.2. **स्वैपिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु पूंजीगत उपादान** (Capital Subsidy for setting up Swapping Stations)–नीति की प्रभावी अवधि में अधिकतम ₹5 लाख प्रति इकाई की सीमा के अधीन राज्य में स्थापित होने वाले प्रथम 1,000 स्वैपिंग स्टेशनों को सेवा इकाइयों (Service Units) हेतु पात्र स्थायी पूंजी निवेश (ईएफसीआई–एस) के 20 प्रतिशत की दर से पूंजीगत उपादान प्रदान किया जाएगा।

3.2.3. इस प्रकार का उपादान किसी भी पात्र सेवा इकाई (Service Unit) को एकमुश्त एक किस्त में प्रदान किया जाएगा। नीति की अवधि के दौरान प्रति जनपद न्यूनतम 20 चार्जिंग स्टेशन एवं 05 स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा।

3.2.4. प्रोत्साहन–लाभ आवेदन करने वाली परियोजना (चार्जिंग/स्वैपिंग स्टेशन) के वाणिज्यिक संचालन के प्रारंभ होने के पश्चात प्रदान किया जाएगा। किसी भी व्यक्तिगत निवेशक (Individual Investor)/उद्यम/कंपनी/संस्थान

को अधिकतम 100 चार्जिंग/स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए ही उपर्युक्त उपादान प्रदान किया जाएगा।

3.2.5. समस्त प्रोत्साहन केवल वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के पश्चात ही प्रदान किए जाएंगे; किसी भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए समस्त वित्तीय प्रोत्साहनों का योग स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3.2.6. 'प्रथम आगत–प्रथम पावत' (First come - first serve) का आधार उन परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया जाएगा, जिन्हें इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन–लाभ के लिए 'स्वीकृति पत्र' प्रदान किया जा रहा हो।

3.2.7. सामान्यतः सार्वजनिक उपयोग के लिए नवीन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने वाली परिभाषित पात्र सेवा इकाइयों (Service Units) को प्रारंभिक (Early-bird) प्रोत्साहन के रूप में प्रोत्साहन–लाभ प्रदान किया जाएगा तथा उन्हें भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुमोदन हेतु नियुक्त किसी अन्य नोडल संस्था द्वारा निर्धारित प्राविधानों/दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

3.2.8. पात्र सेवा इकाई (Service Unit) में परियोजना स्थल पर वाहनों को चार्ज करने के उद्देश्य से सत्यापित इलेक्ट्रिक कनेक्टर की सुविधा होनी चाहिए।

3.2.9. चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु प्रस्तावित भूमि, सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था (Individual/entity) के नाम पर स्वामित्व/पट्टे के रूप में होगी।

4. विनिर्माताओं हेतु प्रोत्साहन–लाभ की स्वीकृति तथा वितरण हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया (Application process for Sanction and Disbursal of incentives to Manufacturers):

4.1. नीति के अंतर्गत किसी भी प्रोत्साहन का अनुरोध करने के लिए, आवेदक को निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा (अनुलग्नक 1 में पंजीकरण फॉर्म का नमूना उपलब्ध है), पंजीकरण के पश्चात् प्रत्येक आवेदन के लिए एक यूनीक आईडी जारी की जाएगी।

4.2. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप (लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु अनुलग्नक–2 तथा प्रोत्साहन–लाभ के वितरण (Disbursement) हेतु अनुलग्नक–3) में निम्नलिखित अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र नोडल संस्था में प्रस्तुत किया जाना होगा–

लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ वांछित अभिलेख	**प्रोत्साहन–लाभ के वितरण (Disbursement) हेतु आवेदन के साथ वांछित अभिलेख**
1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–1 के अनुसार सभी मदों के विवरण सहित)	**आवेदन का प्रथम चरण–** 1. वास्तविक निवेश का विवरण – सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–1)

2. अनुमानित निवेश का विवरण (ब्रेक–अप)– सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–2) 3. वित्त पोषण के साधन– सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–3) 4. निगमन (इनकॉरपोरेशन) प्रमाणपत्र की प्रति 5. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की प्रति 6. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति 7. निदेशकों के पैन कार्ड या आधार कार्ड की प्रति 8. बोर्ड के संकल्प की प्रति 9. स्व–घोषणा पत्र (प्रारूप–4) 10. (यथावश्यकता) अन्य अभिलेख	2. स्व–घोषणा पत्र (प्रारूप–4) 3. भूमि पट्टा विलेख/विक्रय विलेख की प्रति 4. गुणवत्ता प्रमाणन/पंजीकृत पेटेंट की प्रति (यदि लागू हो) **आवेदन का द्वितीय चरण–** 1. कच्चे माल की खरीद का विवरण सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–5) 2. प्लांट व मशीनरी का विवरण सी. ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–6) 3. वास्तविक उत्पादन का विवरण सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–7) 4. स्टॉक बीमा का विवरण सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–8) 5. (यथावश्यकता) अन्य अभिलेख

4.3. **विस्तारीकरण/विविधीकरण** परियोजनाओं के प्रकरण में, नीति के अंतर्गत केवल Incremental निवेश ही प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

4.3.1. विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाले औद्योगिक इकाईयों को उक्त विस्तारीकरण/विविधीकरण हेतु पृथक सूचना रखनी होगी। लाभों का आकलन उक्त सूचना व Incremental टर्नओवर के आधार पर किया जाएगा।

4.4 प्रोत्साहन–लाभों के वितरण (Disbursement) हेतु समय सारणी

4.4.1 पूंजीगत उपादान हेतु (Capital Subsidy)

क) आवेदक की विनिर्माण इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने के 12 माह पश्चात प्रोत्साहन–लाभ स्वीकार्य होगा।

ख) प्रोत्साहन–लाभ के वितरण (Disbursement) हेतु ऑनलाइन आवेदन दो चरणों, अर्थात् 'प्रथम चरण' तथा 'द्वितीय चरण' में किया जाएगा।

ग) आवेदक की विनिर्माण इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने के 90–कार्य दिवसों के भीतर प्रथम किस्त के लिए (इस शासनादेश के अनुच्छेद–4.2 में सूचीबद्ध) संबंधित अभिलेखों के साथ नोडल एजेन्सी में प्रथम चरण का ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।

घ) वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने के 12 माह पश्चात अथवा वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च तक) (जो भी बाद में हो) में द्वितीय चरण का आवेदन (इन नियमों के अनुच्छेद–4.2 में सूचीबद्ध) संबंधित अभिलेखों के साथ नोडल एजेन्सी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वितरण (Disbursement) हेतु उक्त आवेदन संबंधित वित्तीय वर्ष के अनुरूप हो।

4.4.2 स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति हेतु (Stamp Duty reimbursement)– भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति का दावा करने हेतु वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के 90–कार्य दिवसों के भीतर नोडल संस्था को ऑनलाइन आवेदन किया जाना होगा। भूमि पट्टा विलेख/विक्रय विलेख (Land lease deed/ sales deed) की प्रति आवेदन के साथ जमा की जानी चाहिए। यह प्रोत्साहन–लाभ केवल एक बार प्रदान किया जाएगा।

4.4.3 गुणवत्ता प्रमाणन शुल्क तथा/अथवा पेटेंट पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु (Quality Certification fee and/or Patent registration fee reimbursement) – प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के 90 कार्य दिवसों के भीतर नोडल संस्था को ऑनलाइन आवेदन किया जाना होगा। आवेदन के साथ गुणवत्ता प्रमाणपत्र तथा/अथवा प्राप्त पेटेंट की प्रति जमा करनी होगी। यह प्रोत्साहन–लाभ केवल एक बार प्रदान किया जाएगा।

4.4.4 कौशल विकास उपादान हेतु –

क) आवेदक की विनिर्माण इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने के पश्चात वार्षिक आधार पर प्रोत्साहन–लाभ अनुमन्य होंगे।

ख) आवेदक की विनिर्माण इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने के 90 कार्य दिवसों के भीतर प्रथम किस्त हेतु नोडल एजेन्सी को निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रत्येक वर्ष अनुलग्नक–4 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन किया जाना होगा–

i. कर्मचारियों के ईएसआई/ईपीएफ विवरण

ii. संबंधित आईटीआई/पॉलीटेक्निक के प्रमाण पत्रों की प्रति

iii. वेतन/ Stipend की भुगतान स्लिप

iv. प्रशिक्षण में उपस्थिति का विवरण

ग) अनुवर्ती आवेदन वार्षिक आधार पर ऊपर सूचीबद्ध सुसंगत अभिलेखों के साथ प्रस्तुत किए जाने होंगे। आवेदक को वित्तीय वर्ष का नियमितीकरण सुनिश्चित करना होगा।

4.5 यह नीति भारत सरकार की नीतियों/योजनाओं के साथ प्रोत्साहनों की डवटेलिंग (Dovetailing) की अनुमति देती है तथा उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी नीति/योजना के साथ प्रोत्साहनों की किसी भी प्रकार की डवटेलिंग पर प्रतिबंध है। अतः इस नीति के अंतर्गत कुल स्वीकार्य प्रोत्साहन–लाभों की गणना के प्रयोजन से भारत सरकार की किसी नीति/योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रोत्साहन के परिमाण को 'पात्र पूंजी निवेश' से घटाया जाएगा।

5. सेवा इकाइयों (Service Units) हेतु प्रोत्साहन–लाभ की स्वीकृति तथा वितरण (Disbursement) हेतु आवेदन प्रक्रिया :

5.1. नीति के अंतर्गत सेवा इकाइयों (Service Units) हेतु पूंजीगत उपादान का दावा करने के लिए, आवेदक को सर्वप्रथम निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा (अनुलग्नक–1 में पंजीकरण फॉर्म का नमूना उपलब्ध है), ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद, प्रत्येक आवेदन के लिए एक यूनीक आईडी निर्गत की जाएगी।

5.2. आवेदक को निम्नलिखित अभिलेखों के साथ निर्धारित प्रारूप (स्वीकृति पत्र हेतु अनुलग्नक–6 तथा प्रोत्साहन वितरण (Disbursement) हेतु अनुलग्नक–7) में आवेदन पत्र नोडल संस्था में प्रस्तुत करना होगा–

स्वीकृति पत्र हेतु आवेदन के साथ वांछित अभिलेख	**प्रोत्साहन वितरण (Disbursement) हेतु आवेदन के साथ वांछित अभिलेख**
1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–9) 2. अनुमानित निवेश का विवरण (ब्रेक–अप)– सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–10) 3. वित्त पोषण के साधन– सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–11) 4. निगमन (इनकॉरपोरेशन) प्रमाणपत्र की प्रति 5. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की प्रति 6. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति 7. निदेशकों के पैन कार्ड या आधार कार्ड की प्रति 8. बोर्ड के संकल्प की प्रति 9. स्व–घोषणा पत्र (प्रारूप–4) 10. (यथावश्यकता) अन्य अभिलेख	**आवेदन का प्रथम चरण–** 1. वास्तविक निवेश का विवरण – सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–10) 2. वित्त पोषण के साधन– सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–11) 3. विद्युत मंत्रालय या भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य मंत्रालय/नोडल संस्था के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में संबंधित अभिलेखों की प्रति। 4. स्वीकृत एवं संयोजित विद्युत भार के विवरण के साथ विद्युत संयोजन की प्रति 5. स्व–घोषणा पत्र (प्रारूप–11) **आवेदन का द्वितीय चरण–** 1. स्व–घोषणा पत्र (प्रारूप–4) 2. विद्युत बिलों की प्रति 3. परिसर हेतु अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र 4. भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अनुमोदन / दिशा–निर्देशों के लिए नियुक्त

	कोई अन्य नोडल संस्था) के मानदंडों के संबंध में अनुपालन प्रमाण पत्र 5. (यथावश्यकता) अन्य अभिलेख

5.3. **प्रोत्साहन–लाभों के वितरण (Disbursement)** हेतु आवेदकों द्वारा निम्नानुसार आवेदन कियाजाएगा–

5.3.1. आवेदक की सेवा इकाइयों (Service Units) द्वारा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने के 12 माह पश्चात आवेदक हेतु प्रोत्साहन स्वीकार्य होगा। अतः प्रोत्साहन के वितरण (Disbursement) हेतु ऑनलाइन आवेदन दो चरणों, अर्थात् प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण में किया जाना होगा।

5.3.2. आवेदन करने वाली सेवा इकाइयों (Service Units) द्वारा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के 90–कार्य दिवसों के भीतर प्रथम किस्त के लिए (इन नियमों के अनुच्छेद–5.2 में सूचीबद्ध) संबंधित अभिलेखों के साथ प्रथम चरण का आवेदन नोडल संस्था को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना होगा।

5.3.3. वाणिज्यिक संचालन अथवा वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च तक) प्रारंभ होने के 12 माह पश्चात (जो भी बाद में हो) द्वितीय चरण का आवेदन (इन नियमों के अनुच्छेद–5.2 में सूचीबद्ध) संबंधित अभिलेखों के साथ नोडल एजेन्सी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वितरण (Disbursement) हेतु उक्त आवेदन संबंधित वित्तीय वर्ष के अनुरूप हो।

6. विनिर्माण इकाइयों हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया

6.1. इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति–2022 के अंतर्गत विनिर्माण इकाइयों के समस्त आवेदनों का अनुश्रवण एवं ट्रैक करने के लिए नोडल एजेन्सी द्वारा एक **डेडिकेटेड नोडल अधिकारी** की नियुक्ति की जाएगी।

6.2. **<u>सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आवेदकों के लिए समीक्षा–प्रक्रिया</u>**

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के आवेदनों को नोडल एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना से संबंधित जनपद के उपायुक्त–उद्योग, ज़िला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र को समीक्षा एवं सत्यापन हेतु सीधे प्रेषित किया जाएगा। नोडल एजेन्सी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम परियोजनाओं की केवल प्रगति व अद्यतन स्थिति की मॉनिटरिंग करेगी।

2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम आवेदनों को संबंधित जनपद के उपायुक्त–उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की सहायता से प्रोसेस एवं परीक्षण करते हुए संबंधित

संयुक्त आयुक्त उद्योग (जेसीआई) के माध्यम से "स्वीकृति समिति" (Sanctioning Committee) को अनुमोदन हेतु संस्तुति की जाएगी।

3. यदि आवेदन अपूर्ण है, तो आवेदन में किसी भी विसंगति या अपूर्णता के विषय में संबंधित उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा सूचित किया जाएगा तथा निवेश मित्र के माध्यम से आवेदक से उक्त बिन्दुओं पर उनका पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।

4. संबंधित उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा इस प्रकार की जांच पूर्ण करके ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि से 07–कार्य दिवसों के भीतर पृच्छा (Query) की जाएगी। आवेदक को पृच्छा करने की तिथि से 07–कार्य दिवसों के भीतर उत्तर देना होगा। संबंधित उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा आवेदन पूर्ण पाए जाने तक अनुवर्ती पृच्छाएं (subsequent queries) भी की जा सकती हैं। इन अनुवर्ती पृच्छाओं के लिए, उपायुक्त एवं आवेदक दोनों के लिए 07–कार्य दिवसों की समय सीमा होगी।

5. जब लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) की स्वीकृति हेतु आवेदन पूर्ण हो जाता है, तो संबंधित उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा आवेदक को ऑनलाइन 'पावती प्रमाणपत्र' (Acknowledgement Certificate) जारी किया जाएगा। वितरण (Disbursement) हेतु आवेदनों के लिए इस प्रकार के 'पावती प्रमाणपत्र' की आवश्यकता नहीं होगी।

6. एलओसी की स्वीकृति हेतु आवेदन की समीक्षा की प्रक्रिया इस पावती प्रमाणपत्र के जारी होने के बाद ही प्रारंभ की जाएगी। यह पावती प्रमाणपत्र नीति के अंतर्गत आवेदन को स्वीकार करने का प्रमाण मात्र होगा।

7. संबंधित उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त होने के 30 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को पावती प्रमाणपत्र जारी किया जाए। यदि इस समय–सीमा में पृच्छाओं का समाधान नहीं किया जाता है, तो इस आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है तथा आवेदक से आवेदन पुनः फाइल करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

8. प्रारंभिक परीक्षण के उपरांत संबंधित उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा एलओसी एवं प्रोत्साहनों के वितरण (Disbursement) के लिए प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अग्रेषित किया जाएगा।

9. प्रोत्साहनों के वितरण (Disbursement) हेतु आवेदनों के लिए संबंधित उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा तथा नीति के प्राविधान के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए पूंजीगत निवेश के परीक्षण एवं प्रमाणन के लिए नोडल एजेन्सी से उसके

सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, मूल्यांकनकर्ताओं, जीएसटी ऑडिटर्स, चार्टर्ड अभियंता के माध्यम से समन्वय किया जाएगा।

10. उनकी टिप्पणियों तथा संबंधित विभागों एवं सीए/सीई (केवल प्रोत्साहनों के वितरण (Disbursement) हेतु आवेदन के प्रकरण में) की रिपोर्ट के आधार पर, संबंधित उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र अपनी टिप्पणियों को तैयार करेंगे तथा आवेदन को स्वीकृति समिति के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत करेंगे।

11. संबंधित मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक **स्वीकृति समिति**(Sanctioning Committee) गठित की जाएगी, जिसमें संबंधित जनपद के अपर जिलाधिकारी (एडीएम) (एफ एंड आर), उप–निदेशक/एआईजी/डीआईजी–स्टाम्प, उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र (संबंधित जनपद का), क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण यिंत्रण बोर्ड, उन विभागों के प्रतिनिधि जिनसे लाभ के लिए अनुरोध किया गया है, सदस्य के रूप में तथा संयुक्त आयुक्त उद्योग (जेसीआई) सदस्य–संयोजक होंगे।

12. आवेदकों के प्रतिनिधियों को समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाएगा। आवेदक या उनके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति की दशा में समिति की कार्यवाही (Proceeding) बाधित नही होगी।

13. स्वीकृति प्राप्त होने पर, संबंधित संयुक्त आयुक्त–उद्योग द्वारा लाभ के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर एक औपचारिक लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रदान किया जाएगा। यह लेटर ऑफ कम्फर्ट आवेदक को स्वीकृति समिति के स्तर पर अनुमोदनोपरांत 15 कार्य दिवसों में प्रदान किया जाना होगा।

14. इसी प्रकार प्रोत्साहन–लाभों के वितरण (Disbursement) के आवेदन का 'स्वीकृति समिति' के स्तर पर अनुमोदन होने पर, उपायुक्त–उद्योग द्वारा नोडल एजेन्सी को इस सम्बन्ध में एक शासनादेश निर्गत करने हेतु सूचित किया जाएगा। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत करने के बाद नोडल एजेन्सी स्वीकृत की गई प्रोत्साहन–धनराशि को उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र के पक्ष में अवमुक्त करेगी, जो प्रोत्साहनों को ऑनलाइन सीधे आवेदक के बैंक खाते में अन्तरित करेंगे। सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, प्रोत्साहन–लाभों का वितरण (Disbursement) 15 कार्य दिवसों में हो जाना चाहिए।

6.3. **<u>वृहद्/मेगा/अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं/एकीकृत परियोजनाओं के आवेदकों के लिए समीक्षा–प्रक्रिया</u>** : आवेदनों की समीक्षा एवं परीक्षण हेतु नोडल एजेन्सी द्वारा एक नीति कियान्वयन इकाई–पीआईयू (Policy Implementation Unit - PIU) गठित की जाएगी।

क) पीआईयू की संरचना

i. इन्वेस्ट यूपी के एक नामित नोडल अधिकारी पीआईयू की अध्यक्षता करेंगे, जो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी–इन्वेस्ट यूपी के पर्यवेक्षण (Supervision) में कार्य करेंगे। पीआईयू में आउटसोर्स प्रोफेशनल्स/परामर्शियों एवं अनुभवी सेवानिवृत्त व प्रतिनियुक्ति पर (On deputation) सरकारी अधिकारियों के साथ पर्याप्त कर्मचारी होंगे।

ii. पीआईयू को व्यक्तियों या फर्मों या एजेंसियों के रूप में सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, अभियंताओं, लागत लेखाकारों (Cost Accountants), जीएसटी ऑडिटर्स आदि द्वारा भी सहायता प्रदान की जाएगी।

ख) पीआईयू की भूमिका

i. पीआईयू द्वारा प्रत्येक आवेदन की पूर्णता व सुसंगतता की सन्निरीक्षा की जाएगी तथा नामित नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण (Supervision) में आवेदन त्रुटियों एवं विसंगतियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

ii. यदि आवेदन अपूर्ण है, तो पीआईयू के नोडल अधिकारी द्वारा आवेदन में पाई गई विसंगति या अपूर्णता के विषय में निवेश मित्र के माध्यम से आवेदक से ऑनलाइन उनका पक्ष मांगा जाएगा।

iii. इस प्रकार की जांच नोडल एजेन्सी द्वारा पूर्ण करके ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के 07 कार्य दिवसों के भीतर पृच्छा (Qurey) की जाएगी। आवेदक को पृच्छा की तिथि से 07 कार्य दिवसों के भीतर पृच्छा के बिन्दु तय किए जायेंगे एवं आवेदक को सूचित किया जाएगा। आवेदक को 07 कार्य दिवस के अन्दर उत्तर देना होगा। यदि नोडल एजेन्सी को सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो उसके द्वारा अनुवर्ती पृच्छाएं (subsequent queries) भी की जा सकती हैं। इन अनुवर्ती पृच्छाओं के लिए, नोडल संस्था तथा आवेदक, दोनों के लिए 07 कार्य दिवसों की समय सीमा लागू है।

iv. लेटर ऑफ कम्फर्ट हेतु आवेदन के पूर्ण होने पर पीआईयू के नोडल अधिकारी द्वारा आवेदक को ऑनलाइन 'पावती प्रमाणपत्र' (Acknowledgement Certificate) निर्गत किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि के वितरण (Disbursement) हेतु पूर्ण आवेदनों के लिए 'पावती प्रमाणपत्र' की आवश्यकता नहीं होगी।

v. लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु आवेदन की समीक्षा की प्रक्रिया उक्त पावती प्रमाणपत्र के जारी होने के बाद ही प्रारंभ की जाएगी। यह पावती प्रमाणपत्र नीति के अंतर्गत आवेदन को स्वीकार करने का प्रमाण मात्र होगा।

vi. नोडल संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदन प्राप्त होने के 30 कार्य दिवसों के भीतर निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदक को पावती प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाए।

vii. प्रारंभिक जांच के बाद, पीआईयू के नोडल अधिकारी प्राप्त आवेदनों को लेटर ऑफ कम्फर्ट एवं प्रोत्साहनों के वितरण (Disbursement) हेतु संबंधित विभागों को अग्रेषित करेंगे, जो एक सप्ताह के भीतर नोडल संस्था को अपनी टिप्पणी प्रदान करेंगे।

viii. प्रोत्साहन–वितरण (Disbursement) हेतु आवेदनों के लिए, पीआईयू के नोडल अधिकारी द्वारा नीति के प्राविधान के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए पूंजी निवेश के परीक्षण एवं प्रमाणन की व्यवस्था की जाएगी, जो पीआईयू के सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, मूल्यांकनकर्ताओं, जीएसटी ऑडिटर्स, चार्टर्ड अभियंताओं आदि सहित विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। इसमें परियोजना स्थल पर पूंजी निवेश की स्थापना तथा सत्यापन की जांच सम्मिलित होगी।

ix. नोडल एजेन्सी में सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एवं अभियंता/मूल्यांकनकर्ता, संबंधित उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र के समन्वय से आवेदक द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों के अनुसार पूंजी निवेश की वास्तविक स्थिति का आकलन एवं सत्यापन करेंगे।

x. पीआईयू के नोडल अधिकारी द्वारा संबंधित विभागों तथा सीए/सीई की टिप्पणियों के आधार पर टिप्पणियों को तैयार किया जाएगा तथा आवेदन को संबंधित सन्निरीक्षा समिति (Scrutiny Committee) के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

ग) उ.प्र. इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति–2022 के अनुसार आवेदन का मूल्यांकन करने हेतु सन्निरीक्षा **संमिति (Scrutiny Committee)** का गठन किया जाएगा। सन्निरीक्षा समिति पावती प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से 90 कार्य दिवसों के भीतर एजेंडा नोट की समीक्षा करेगी।

i. <u>वृहद श्रेणी के आवेदनों हेतु सन्निरीक्षा समिति की संरचना</u>

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,इन्वेस्ट यूपी	अध्यक्ष
पिकप के प्रतिनिधि	सदस्य
स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
परिवहन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
श्रम विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
वित्त विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
नियोजन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
व्यावसायिक शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य

संबंधित जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र (एमएसएमई विभाग) के प्रतिनिधि	सदस्य
यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडाप्राधिकरण/यीडा/गीडा या किसी अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि	सदस्य
वित्त नियंत्रक, इन्वेस्ट यूपी	सदस्य
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,इन्वेस्ट यूपी	सदस्यसचिव

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,इन्वेस्ट यूपी द्वारा यथावश्यकता अन्य सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकता है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी,इन्वेस्ट यूपी द्वारा अन्य राज्य/केंद्र सरकार के विभागों व संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आवश्यकतानुसार सन्निरीक्षा समिति के विशेष आमंत्रियों के रूप में नामित किया जाएगा।

ii. <u>मेगा/अल्ट्रा मेगा श्रेणी की परियोजनाओं एवं एकीकृत परियोजनाओं के आवेदनों हेतु सन्निरीक्षा समिति की संरचना</u>

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	अध्यक्ष
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारीइन्वेस्ट, यूपी	सदस्य
पिकप के प्रतिनिधि	सदस्य
स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
परिवहन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
श्रम विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
वित्त विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
नियोजन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
व्यावसायिक शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
संबंधित जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र (एमएसएमई विभाग) के प्रतिनिधि	सदस्य
यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडाप्राधिकरण/यीडा/गीडा या किसी अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि	सदस्य
वित्त नियंत्रक, इन्वेस्ट यूपी	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारीइन्वेस्ट यूपी	सदस्य सचिव

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा यथावश्यकता अन्य सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकता है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी,इन्वेस्ट यूपी द्वारा अन्य राज्य/केंद्र सरकार के विभागों व संस्थाओं के प्रतिनिधियों को

आवश्यकतानुसार संवीक्षा समिति के विशेष आमंत्रियों के रूप में नामित किया जाएगा।

iii. सन्निरीक्षा समिति द्वारा आवेदन का मूल्यांकन किया जाएगा तथा प्राधिकृत समिति अथवा उच्च–स्तरीय प्राधिकृत ईवी समिति की संस्तुति एवं अनुमोदन हेतु एजेंडा नोट को अंतिम रूप दिया जाएगा।

6.4. **प्राधिकृत समिति (ईसी) अथवा उच्च–स्तरीय प्राधिकृत ईवी समिति (एचएलईईवीसी)** अंतिम (Final) अनुमोदन हेतु आवेदनों की संस्तुति करेगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी द्वारा एजेंडा नोट को अंतिम रूप दिए जाने के 90 कार्य दिवसों के भीतर ईसी/एलईईवीसी एजेंडा नोट की समीक्षा करेगी।

क) **<u>वृहद श्रेणी के आवेदनः</u>** अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासनकी अध्यक्षता में एक प्राधिकृत समिति का गठन किया जाएगा, जिसका संघटन निम्नवत हैः–

i. प्राधिकृत समिति (Empowered Committee) का संघटन

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन	अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन।	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0शासन।	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उ0प्र0शासन।	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0शासन।	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0शासन।	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ ग्रेटर नोएडा/यीडा/ गीडा एवं अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0	सदस्य सचिव

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से यथावश्यकता अन्य सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकता है।

Manaf

ii. यदि किसी अन्य संबंधित विभाग/प्राधिकरण/संस्था से लाभ का अनुरोध किया गया हो, तो उनके प्रमुख को भी आवश्यकतानुसार सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

iii. आवेदकों के प्रतिनिधियों को समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाएगा। आवेदक या उनके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने की दशा में समिति की कार्यवाही (Proceeding) बाधित नहीं होगी।

ख) **<u>मेगा/अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं एवं एकीकृत परियोजनाओं के आवेदनः</u>**मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासनकी अध्यक्षता में एक उच्च–स्तरीय प्राधिकृत समिति (High Level Empowered Committee) का गठन किया जाएगा।

i. उच्च–स्तरीय प्राधिकृत समिति (High Level Empowered Committee) का संघटनः–

मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन	अध्यक्ष
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन।	सदस्य सचिव
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0शासन।	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0शासन।	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0शासन।	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0शासन।	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0शासन।	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0शासन।	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0/ यूपीसीडा/ यूपीडा/नोएडा/ ग्रेटर नोएडा/यीडा/ गीडा एवं अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सदस्य

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से यथावश्यकता अन्य सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकता है।

ii. यदि किसी अन्य संबंधित विभाग/प्राधिकरण/संस्था से लाभ का अनुरोध किया गया हो, तो उनके प्रमुख को भी आवश्यकतानुसार सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

iii. आवेदकों के प्रतिनिधियों को समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाएगा। आवेदक या उनके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने की दशा में समिति की कार्यवाही (Proceeding) बाधित नहीं होगी।

6.5. स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत समिति/उच्च–स्तरीय प्राधिकृत ईवी समिति की संस्तुति के आधार पर आवेदनों पर अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाएगा–

i. वृहद श्रेणी की परियोजनाओं के आवेदनों को माननीय मंत्री, औद्योगिक विकास, उ.प्र. द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

ii. मेगा/अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं व एकीकृत परियोजना के आवेदनों को राज्य की माननीय मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

नोट–प्रोत्साहन–लाभ का दावा करने की पात्रता हेतु सुसंगत स्वीकृति प्राधिकारी से लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु अनुमोदन नीति की प्रभावी अवधि के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए।

6.6. सुसंगत स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा केवल लेटर ऑफ कम्फर्ट के आवेदनों तथा प्रोत्साहनों के वितरण (Disbursement) की प्रथम व अंतिम किस्त का अनुमोदन किया जाएगा। प्रोत्साहनों के वितरण (Disbursement) की अनुवर्ती किस्तों (Subsequent instalments) के आवदेनों पर ऊपर निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, यद्यपि, इस प्रकार के आवेदनों का अनुमोदन प्रकरणानुसार प्राधिकृत समिति अथवा उच्च–स्तरीय प्राधिकृत ईवी समिति के स्तर पर प्रदान किया जाएगा।

6.7. संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी (मा. मंत्री, औद्योगिक विकास/मा. मंत्रिपरिषद्) द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु आवेदनों के अनुमोदन के उपरांत, नोडल संस्था सुसंगत स्वीकृति प्राधिकारी के अनुमोदन की तिथि से 15 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करेगी।

6.8. इसी प्रकार, संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा प्रोत्साहनों के वितरण (Disbursement) हेतु आवेदनों के अनुमोदन के उपरांत, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा एक शासनादेश निर्गत किया जाएगा, जिसके अनुसार नोडल संस्था द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहन राशि का वितरण (Disbursement) सीधे आवेदक इकाई के बैंक खाते में किया जाएगा। संबंधित स्तर से अनुमोदनोपरांत, अनुमोदन की तिथि से 30 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को प्रोत्साहनों का वितरण (Disbursement) कर दिया जाना चाहिए।

नोट– यदि किसी आवेदक को प्रदान की जाने वाली कुल प्रोत्साहन राशि ₹1 करोड़ से कम होगी, तो सम्पूर्ण प्रोत्साहन–लाभ एक किस्त में वितरित कर दिया जाएगा। इस

प्रकार के आवेदनों को सुसंगत समिति द्वारा अनुमोदन के लिए प्राधिकृत समिति को संदर्भित किया जाएगा।

7. सेवा इकाइयों (Service Units) हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया

7.1. नोडल एजेन्सी द्वारा उ.प्र. इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति–2022 के अंतर्गत सेवा इकाइयों (Service Units) के समस्त आवेदनों के अनुश्रवण एवं ट्रैक करने के लिए एक **डेडिकेटेड नोडल अधिकारी** की नियुक्ति की जाएगी।

7.2. आवेदनों की समीक्षा एवं परीक्षण हेतु नोडल संस्था द्वारा एक नीति कार्यान्वयन इकाई–पीआईयू (Policy Implementation Unit - PIU) गठित की जाएगी।

क) <u>पीआईयू की संरचना</u>

i. इन्वेस्ट यूपी के एक नामित नोडल अधिकारी पीआईयू की अध्यक्षता करेंगे, जो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी–इनवेस्ट यूपी के पर्यवेक्षण (Supervision) में कार्य करेंगे। पीआईयू में आउटसोर्स प्रोफेशनल्स/परामर्शियों एवं अनुभवी सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के साथ पर्याप्त कर्मचारी होंगे।

ii. पीआईयू को व्यक्तियों या फर्मों या एजेंसियों के रूप में सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, अभियंताओं, लागत लेखाकारों (Cost Accountants), जीएसटी ऑडिटर्स आदि द्वारा भी सहायता प्रदान की जाएगी।

ख) <u>पीआईयू की भूमिका</u>

i. पीआईयू प्रोत्साहन हेतु आवेदनों का प्रबंधन करेगी तथा सेवा इकाइयों (Service Units) की स्थापना हेतु स्थापना से पूर्व वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्रों (एनओसी)/स्वीकृतियों/अनुमोदनों को जारी करने के लिए समन्वय करेगी।

ii. पीआईयू द्वारा प्रत्येक आवेदन की पूर्णता व सुसंगतता की जांच की जाएगी तथा नामित नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण (Supervision) में आवेदन पत्रों की त्रुटियों एवं विसंगतियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

iii. यदि आवेदन अपूर्ण है, तो पीआईयू के नोडल अधिकारी द्वारा आवेदन में पाई गई विसंगति या अपूर्णता के विषय में निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदक से ऑनलाइन उनका पक्ष मांगा जाएगा।

iv. नोडल संस्था द्वारा इस प्रकार की जांच पूर्ण करके, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के 07 कार्य दिवसों के भीतर पृच्छा के बिन्दु निर्धारित किए जायेंगे एवं आवेदक को सूचित किया जाएगा। आवेदक द्वारा पृच्छा की तिथि से 07 कार्य दिवसों के भीतर पृच्छा का उत्तर दिया जाना होगा। यदि नोडल एजेन्सी को सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त नहीं होता है,

तो उसके द्वारा अनुवर्ती पृच्छा (Subsequent queries) भी की जा सकती हैं। इन अनुवर्ती पृच्छाओं के लिए, नोडल एजेन्सी तथा आवेदक, दोनों के लिए 07 कार्य दिवसों की समय सीमा लागू है।

v. आवेदन के पूर्ण होने पर पीआईयू के नोडल अधिकारी द्वारा आवेदक को ऑनलाइन माध्यम से 'पावती प्रमाणपत्र' निर्गत किया जाएगा। तथापि, प्रोत्साहनों के वितरण (Disbursement) हेतु पूर्ण आवेदनों के लिए 'पावती प्रमाणपत्र' आवश्यक नहीं होगा।

vi. लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु आवेदन की समीक्षा की प्रक्रिया उक्त पावती प्रमाणपत्र के जारी होने के बाद ही प्रारंभ की जाएगी। यह पावती प्रमाणपत्र नीति के अंतर्गत आवेदन की स्वीकार किए जाने का प्रमाण मात्र होगा।

vii. नोडल संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त होने के 30 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को पावती प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाए। यदि उक्त अवधि में पृच्छाओं का समाधान नहीं होता है, तो उक्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा आवेदक से पुनः आवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जा सकता है।

viii. प्रारंभिक जांच के बाद, पीआईयू के नोडल अधिकारी प्राप्त आवेदनों को लेटर ऑफ कम्फर्ट एवं प्रोत्साहनों के वितरण (Disbursement) हेतु संबंधित विभागों को अग्रेषित करेंगे। विभागों द्वारा एक सप्ताह के भीतर नोडल एजेंसी को अपना अभिमत दिया जाएगा।

ix. पीआईयू द्वारा सम्बन्धित प्राधिकरणों/विभागों, विशेषतः उ.प्र. पावर कॉरपोरेशन लि., उ.प्र. शासन के परिवहन विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग से टिप्पणी प्राप्त की जाएगी। इसमें भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय अथवा भारत सरकार के किसी अन्य संबंधित विभाग द्वारा ईवी चार्जिंग हेतु दिशानिर्देशों के अंतर्गत परियोना अनुपालन का विवरण सम्मिलित है।इसके अतिरिक्त, उक्त सेवा इकाई (Service Unit) हेतु वांछित स्वीकृतियों/अनुमोदनों, यथा– अग्नि सुरक्षा, प्रदूषण आदि की स्थिति भी सम्मिलित है।

x. प्रोत्साहन राशि के वितरण (Disbursement) हेतु आवेदनों के लिए पीआईयू के नोडल अधिकारी सूचीबद्ध सी.ए. फर्मों के माध्यम से नीति के प्राविधान के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए पूंजी निवेश के परीक्षण एवं प्रमाणन की व्यवस्था करेंगे। नोडल संस्था अपने पैनल में सम्मिलित सलाहकारों/मूल्यांकनकर्ताओं/अभियंताओं के माध्यम से परियोजना स्थल पर पूंजी निवेश की स्थापना तथा सत्यापन की जांच करने की भी व्यवस्था करेगी।

xi. नोडल एजेन्सी में सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट एवं अभियंता/ मूल्यांकनकर्ता संबंधित डिस्कॉम एवं उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र के समन्वय से आवेदक द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्रों के अनुसार पूंजी निवेश की वास्तविक स्थिति का आकलन एवं सत्यापन करेंगे।

xii. पीआईयू के नोडल अधिकारी द्वारा संबंधित विभागों तथा सीए/सीई की टिप्पणियों के आधार पर (केवल प्रोत्साहनों के वितरण (Disbursement) के आवेदनों हेतु) टिप्पणियों को तैयार किया जाएगा तथा आवेदन को संबंधित सन्निरीक्षा समिति (Scrutiny Committee) के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

7.3. उ.प्र. इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति–2022 के अनुसार सेवा इकाइयों (Service Units) के आवेदनों का मूल्यांकन करने हेतु **सन्निरीक्षा संमिति (Scrutiny Committee)** का गठन किया जाएगा। सन्निरीक्षा समिति 'पावती प्रमाण पत्र' जारी होने की तिथि से 90 कार्य दिवसों के भीतर एजेंडा नोट की समीक्षा करेगी।

7.3.1. **सेवा इकाइयों** (Service Units) **हेतु सन्निरीक्षा समिति की संरचना**

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,इन्वेस्ट यूपी	अध्यक्ष
पिकप के प्रतिनिधि	सदस्य
संबंधित डिस्कॉम के प्रतिनिधि	सदस्य
परिवहन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
वित्त विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
नियोजन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
नगर विकास विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
अग्निशमन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
सुसंगत जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र (एमएसएमई विभाग) के प्रतिनिधि	सदस्य
सुसंगत औद्योगिक विकास प्राधिकरण अथवा विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि	सदस्य
वित्त नियंत्रक, इन्वेस्ट यूपी	सदस्य
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,इन्वेस्ट यूपी	सदस्य सचिव

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,इन्वेस्ट यूपी द्वारा यथावश्यकता अन्य सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकता है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी,इन्वेस्ट यूपी द्वारा अन्य राज्य/केंद्र सरकार के विभागों व संस्थाओं के प्रतिनिधियों को

आवश्यकतानुसार संवीक्षा समिति के विशेष आमंत्रियों के रूप में नामित किया जाएगा।

7.3.2. सन्निरीक्षा समिति आवेदनों का मूल्यांकन करेगी तथा सेवा इकाइयों (Service Units) हेतु प्राधिकृत समिति (ईसी–एस) की संस्तुति एवं अनुमोदन हेतु एजेंडा नोट को अंतिम रूप प्रदान करेगी।

7.4. **सेवा इकाइयों** (Service Units) **हेतु प्राधिकृत समिति (ईसी–एस)** अंतिम अनुमोदन हेतु आवेदनों की संस्तुति करेगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी द्वारा एजेंडा नोट को अंतिम रूप दिए जाने के 90 कार्य दिवसों के भीतर ईसी–एस एजेंडा नोट की समीक्षा करेगी।

7.4.1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासनकी अध्यक्षता में एक प्राधिकृत समिति का गठन किया जाएगातथामुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी इसके सदस्य सचिव होंगे।

क) प्राधिकृत समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, ऊर्जा विभाग (संबंधित डिस्कॉम के प्रतिनिधि सहित), नगर विकास विभाग, एमएसएमई विभाग, वित्त विभाग, पर्यावरण विभाग, परिवहन विभाग, नियोजन विभाग, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक (CTCP) एवं यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण/यीडा /गीडा अथवा अन्य संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्यों के रूप में सम्मिलित होंगे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी द्वारा यथावश्यकता अन्य सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकता है।

ख) यदि किसी अन्य संबंधित विभाग/प्राधिकरण/संस्था से लाभ का अनुरोध किया गया है, तो उनके प्रमुखों को भी आवश्यकतानुसार सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

ग) आवेदकों के प्रतिनिधियों को समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाएगा। तथापि, आवेदक के उपस्थित न होने के कारण स्वीकृति की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी।

7.5. समीक्षा के आधार पर ईसी–एस द्वारा सेवा इकाइयों (Service Units) के आवेदनों पर अंतिम अनंमोदन प्रदान किया जाएगा तथा नोडल एजेन्सी प्रोत्साहन राशि के वितरण (Disbursement) के 'स्वीकृति–पत्र' को जारी करने हेतु कार्यवाही करेगी। लाभ का दावा करने की पात्रता हेतु 'स्वीकृति पत्र' के लिए स्वीकृति, नीति की प्रभावी अवधि के भीतर प्रदान की जानी चाहिए।

7.6. स्वीकृति–पत्र के आवेदनों के अनुमोदनोपरांत, नोडल एजेन्सी संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी, अर्थात् Service Units हेतु प्राधिकृत समिति के अनुमोदन की तिथि से 15–कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को स्वीकृति–पत्र जारी करेगी।

7.7. इसी प्रकार, संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी, अर्थात् Service Units हेतु प्राधिकृत समिति द्वारा प्रोत्साहन राशि वितरण (Disbursement) हेतु आवेदनों के अनुमोदन के उपरांत, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा एक शासनादेश निर्गत किया जाएगा, जिसके अनुसार नोडल संस्था द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहन राशि का वितरण (Disbursement) सीधे आवेदक के बैंक खाते में ऑनलाइन अंतरित किया जाएगा। संबंधित स्तर से अनुमोदन की तिथि से 30 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को प्रोत्साहनों का वितरण (Disbursement) कर दिया जाना होगा।

8. विविध प्राविधान

8.1. पात्र विनिर्माण परियोजनाओं की समस्त श्रेणियों में लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत होने की तिथि से छः (06) माह के भीतर आवेदक द्वारा किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (Scheduled Commercial Bank) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) अथवा उक्त बैंकों या केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन नोट की एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

8.2. परियोजना की प्रकृति में किसी भी संशोधन/परिवर्तन के लिए आवेदन, अथवा परियोजना की लागत में संशोधन/परिवर्तन जिससे इसकी श्रेणी परिवर्तित हो जाए या लेटर ऑफ कम्फर्ट की शर्तों में परिवर्तन आदि के लिए विनिर्माण इकाई/Service Unit द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा नोडल एजेन्सी द्वारा स्वयं या राज्य सरकार के संबंधित विभाग के माध्यम से इसका परीक्षण किया जाएगा तथा प्रकरणानुसार संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी, अर्थात् प्राधिकृत समिति/उच्च-स्तरीय प्राधिकृत ईवी समिति/Service Units हेतु प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

8.3. प्रोत्साहन-लाभ की निर्धारित सीमा (परिमाण/अवधि) प्राप्त करने पर अथवा नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन पर, लेटर ऑफ कम्फर्ट/स्वीकृति-पत्र को स्वतः निरस्त माना जाएगा। यदि विनिर्माण इकाई/Service Unit द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा भौतिक तथ्यों को छिपाने के आधार पर लाभ प्राप्त किए गए हैं, तो लेटर ऑफ कम्फर्ट/स्वीकृति निरस्त कर दी जाएगी तथा इस प्रकार के उपादान को जारी करने की तिथि से उपक्रम को अवमुक्त किए गए समस्त लाभ भू-राजस्व के बकाया के रूप में 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वसूली योग्य हो जाएंगे।

8.4. इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी। इस नीति में निर्दिष्ट सभी प्रोत्साहनों का लाभ भारत सरकार की किसी योजना/नीति के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन के साथ प्राप्त किया जा सकता है।

8.5. समस्त पात्र विनिर्माण इकाइयों द्वारा प्रोत्साहनों के वितरण (Disbursement) की शर्त के रूप में समय-समय पर नोडल संस्था अथवा उ.प्र. शासन द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत की जानी होगी, अर्थात- उत्पादन, विक्रय, उत्पादन में बाधा (यदि

हुई हो), इकाई के बंद होने आदि के स्पष्ट कारणों के साथ विस्तृत विवरण, स्थायी पूंजी निवेश में वृद्धि का प्रमाणित विवरण (यदि वृद्धि की गंई हो), अचल परिसंपत्तियों के विक्रय/हानि (यदि हुई हो), तथा इकाई के गठन में परिवर्तन, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर खातों के लेखापरीक्षित विवरण (Audited statements of Accounts) एवं पात्र इकाई की बैलेंस शीट आदि।

9. नीति का प्रशासन (Administration of Policy)

9.1. नोडल एजेन्सी द्वारा सूचीबद्ध अभियंताओं/मूल्यांकनकर्ताओं तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आदि के माध्यम से विनिर्माण इकाइयों/Service Units द्वारा किए गए पूंजी निवेश के सत्यापन हेतु किए गए व्यय को आवेदक कंपनियों द्वारा वास्तविक आधार पर वहन किया जाएगा।

9.2. संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी, चरणों की संख्या व उनकी अवधि में परिवर्तन, कट–ऑफ तिथि में परिवर्तन, समान श्रेणी में पूंजी निवेश में परिवर्तन तथा वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन आदि के प्रारंभ की तिथि आदि में आवेदक द्वारा याचित परिवर्तन को वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन प्रारंभ होने से पूर्व तथा नीति के नियम व शर्तों एवं अनुवर्ती दिशा–निर्देशों के अनुसार, अनुमोदित करने के लिए अधिकृत होंगे।

9.3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति, नीति की कोई भी स्पष्टता या व्याख्या प्रदान करने व नीति के कियान्वयन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान करने हेतु अधिकृत होगी।

9.4. उ.प्र. इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति–2022 के अनुसार, नीति के मूल सिद्धांतों, संरचना व समग्र ढांचे में आवश्यक किसी परिवर्तन (जिसमें प्रोत्साहन हेतु परिभाषित लक्ष्य व सीमाएं सम्मिलित हैं) को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत ईवी समिति (एचएलईईवीसी) की संस्तुति तथा मा0 मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरांत परिवर्तित किया जा सकता है।

9.5. यदि इन दिशा–निर्देशों तथा इसके साथ संलग्न प्रपत्रों में कोई संशोधन या परिवर्तन की आवश्यकता होगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास विभाग ऐसे संशोधन या परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा।

9.6. प्रोत्साहन योजना से संबंधित समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

9.7. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी समय नोडल एजेन्सी के खाते में न्यूनतम शेष धनराशि ₹100 करोड़ होना चाहिए। इस हेतु, नोडल एजेन्सी द्वारा प्रोत्साहन राशि के वितरण (Disbursement) के तत्काल पश्चात् अथवा त्रैमासिक आधार पर (जो भी पहले हो), अपने खाते में शेष धनराशि की पूर्ति हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन के समक्ष मांग प्रस्तुत की जाएगी। अवस्थापना एवं औद्योगिक

विकास विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा प्रश्नगत वित्तीय वर्ष के बजट में उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोतसाहन नीति हेतु स्वीकृत धनराशि में से धन स्थानांतरित किया जाएगा।

9.8. वित्त विभाग, उ.प्र. शासन इन नियमों के अधीन बजट प्राविधानों के लेखा शीर्ष का आवंटन करेगा। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग कंट्रोलिंग एंड एस्टीमेट अथॉरिटी होगा तथा बजट अनुमान/संशोधित अनुमान सुसंगत लेखा शीर्ष के अंतर्गत पूरक मांगों हेतु भी प्रस्तुत करेगा।

9.9. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, बजट प्राविधान की संपूर्ण राशि नोडल संस्था को प्रदान की जाएगी। अन्य विभागों से संबंधित लाभों हेतु बजट प्राविधान संबंधित विभागों द्वारा किया जाएगा।

3— उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति—2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु समस्त आवेदकों (औद्योगिक उपक्रमों) को इस दिशा—निर्देश के निर्गत होने के 06 माह के भीतर नोडल संस्था (Nodal Agency) के समक्ष आवेदन किया जाना होगा। उक्त अवधि में प्राप्त समस्त पात्र आवेदनों का सम्यक परीक्षण कर अधिकतम 01 वर्ष की अवधि में गुण—दोष के आधार पर 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' (एल.ओ.सी.) निर्गत किया जाएगा।

4— अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति—2022' के अंतर्गत विनिर्माण इकाइयों तथा चार्जिंग सेवा प्रदाताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु दिशा—निर्देश एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

2.5.23

(**मनोज कुमार सिंह**)
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या— 22/2023/1698 (1)/77—6—23—1(एम)/2022, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
3. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

02.05.23

(मनोज कुमार मौर्य)
उप सचिव।

Annexure-1

Registration Form

(Unique ID generated on submission)

Sl.	Head	Details	Supporting documents
1	**Name of applicant**		Certificate of Incorporation, registered partnership deed, trust /society registration deed
2	**Contact details of applicant** **a. Email** **b. Mobile** **c. Address**		Certificate of Incorporation, registered partnership deed, trust /society registration deed
3	**PAN No of applicant**		Copy of PAN
4	**Name of proposed unit**		
5	**Brief Project details**		
6	**Location of proposed unit**		
7	**Constitution of unit (Company/ Partnership Firm/ Others)**		Copy of MoA/ AoA/ Partnerships deed/ Byelaws, Etc.
8	**Registration Number of unit**		Copy of Registration certificate
9	**GSTIN of unit**		Copy of GSTIN
10	**IEC Code (if available)**		
11	**Nature of business of the proposed unit (Industrial Categorization as per ID&R Act/NIC)**		
12	**Registration or License for setting up Manufacturing Unit**		Enclose acknowledgement of IEM/ IL

13	**Promoter/ Director information (Supported by Copy of PAN & DIN numbers)**			
Sl	Name	Designation	Contact Details (Address/ Mobile/ Email)	PAN & DIN Numbers

14	**Proposed Investment (INR Cr)**		
15	**Estimated Employment**		
16	**Details of authorised signatory**		
	a. Name b. Designation c. Contact details Email Phone no Address d. PAN No		Copy of Board Resolution
17	**Beneficiary Bank Details** (Name, Account No, Name of Bank, IFSC Code)		Copy of Bank Passbook

Annexure-2

Application Form for Sanction of Letter of Comfort for Manufacturing units under UP EVMMP 2022

Part-A: Project Details

Sl	Head	Details	Supporting documents
1	**Unique ID No.**		Nivesh Mitra Registration Form
2	**Name of proposed unit**		DPR in prescribed format
3	**Brief Project details**		DPR in prescribed format
4	**Location of project** **a. District** **b. Region**		DPR in prescribed format
5	**Constitution of unit (Company/ Partnership Firm/ Others)**		Copy of MoA/ AoA/ Partnerships deed/ Byelaws, Etc.
6	**Registration Number of unit**		Copy of Registration certificate
7	**GSTIN of unit**		Copy of GSTIN
8	**IEC Code (if available)**		
9	**Nature of business of the proposed unit (Tick)**	Battery/ EV/ EV Component	
10	**Registration or License for setting up Manufacturing Unit**		Enclose acknowledgement of IEM/ IL
11	**Proposed Investment (INR Cr)**		DPR in prescribed format Format – 1 (C.A certified Investment Break up)
12	**Category of the project (Tick mark)**	MSME/ Large EV/ Large EV Battery/ Mega EV/ Mega EV battery/ Ultra Mega EV Battery/ Integrated EV Plant	DPR in prescribed format Format – 1 (C.A certified Investment Break up)
13	**Promoter/ Director information (Supported by Copy of PAN & DIN numbers)**		

Sl	Name	Designation	Contact Details (Address/ Mobile/ Email)	PAN & DIN Numbers

14	**Estimated Employment**		
(14A) Estimated Employment			DPR in prescribed format

Year	Male	Female	Total

15	**Is the capital investment proposed in phases (Y/N)**		DPR in prescribed format
16	**Brief overview of phases of proposed investment and commercial production**		

Sl	Phase (Year)	Estimated Investment (INR Cr)	Date of start of Commercial Production

17	**Proposed Date of project**		DPR in prescribed format

	completion		
18	**Proposed date of Commencement of Commercial Production**		DPR in prescribed format

(19) Proposed Production (Product wise)		DPR in prescribed format
Product Name:	**Installed Capacity per annum**	**Estimated production per annum**
Phase-1 (FY_)		
Phase-2 (FY_)		
Phase-3 (FY_)		

20	**Details of authorised signatory**		
	a. Name b. Designation c. Contact details Email Phone no Address d. PAN No		Copy of Board Resolution
21	**Beneficiary Bank Details** (Name, Account No, Name of Bank, IFSC Code)		Copy of Bank Passbook

Part-B: Incentives requested -

Sl	Item	Details
BENEFITS REQUESTED (in INR Cr)		
1	Capital Subsidy	
2	Stamp Duty Refund	
3	Quality certification incentive	
4	Patent filing incentive	
5	Skill Development incentive	
6	If any incentive claimed under any GoI incentive? (Y/N)	
6A	If Y - Name of such Scheme	
6B	If Y - Incentive claimed (INR Cr)	

Note: Besides submitting the formats prescribed in these rules, the applicant will have to submit the following supporting documents as well -

1) Detailed Project Report (DPR) should be prepared by external consultant / Chartered Accountant
2) Charted Accountant's Certificate for existing gross block industrial undertaking must be annexed if it is an existing unit
3) Chartered Engineer's Certified List of Fixed Assets of existing industrial undertaking in support of gross block must be annexed if it is an existing unit

Annexure-3

Application Form for Disbursal of Incentives for Manufacturing units under UP EVMMP 2022

Part-A: Project Details

Sl	Head	Details	Supporting documents
1	**Unique ID No.**		Nivesh Mitra Registration Form
2	**LoC No & Date of Issuance**		Copy of LoC sanctioned
3	**Name of proposed unit**		
4	**Location of project** **a. District** **b. Region**		Enclose certificate from concern Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre & Chartered Accountant
5	**Actual investment (INR Cr)**		Format – 1 (C.A certified Investment Break up)
6	**Mention the phase of investment for which the application is made**		Enclose certificate from concern Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre & Chartered Accountant
7	**Nature of business of the proposed unit (Tick)**	Battery/ EV/ EV Component	
8	**Category of the project (Tick mark)**	MSME/ Large EV/ Large EV Battery/ Mega EV/ Mega EV battery/ Ultra Mega EV Battery/ Integrated EV Plant	Format – 1 (C.A certified Investment Break up)

(9) Employment Generated			Copy of EPF Register
Year	Male	Female	Total

10	**Date of project/ phase completion**		
11	**Date of Commencement of Commercial Production for the phase for which application is made**		

Part B- Incentives claimed –

1) Details of Incentives Claim (INR Cr)		
1A	Capital Subsidy	
1B	Stamp Duty refund	
1C	Quality certification incentive	
1D	Patent filing incentive	
1E	Skill Development incentive	
(2) Declarations of incentives claimed (instalments) under EVMM 2022		

2A	No of instalments of incentive already claimed		
2B	**Incentive instalment already claimed (INR Cr)**		
Sl	Incentive Head	Incentive Amt (Rs Cr)	
	Capital Subsidy		
	Any other head		
(3) If any incentive claimed under any GoI incentive? (Y/N)			
3A	If Y - Name of such Scheme		
3B	If Y - Incentive claimed under such scheme (INR Cr)		

Note: Besides, the format prescribed in these rules, the applicant will need to submit the following supporting documents –

a) Registered document showing purchase price, Receipt of payment of stamp duty, receipt of payment of registration fee

b) If land purchased from UPSIDA/DI/FIs/Banks in auction, supporting documents for price paid.

c) Detailed cost estimates of building and civil works constructed or to be constructed (as per DPR/Appraisal Note) and supported with layout plans and cost estimates prepared by external consultants/CA firms and cost incurred duly certified by statutory auditors.

d) The cost of proposed/actual capital investment in the head of plant and machinery and misc. fixed assets should be shown itemized in accordance with the provisions of the Rules for scrutiny, verification, and certification.

e) Declaration of commencement of commercial production

f) 12-Month purchase and sales bills, 12-Month electricity bill

Annexure 4

क्षेत्रवार जनपदों की सूची

पूर्वान्चल	बुन्देलखण्ड	पश्चिमांचल
फैजाबाद मण्डल	**झांसी मण्डल**	**आगरा मण्डल**
1. फैजाबाद	1. झांसी	1. आगरा
2. अम्बेडकरनगर	2. जालौन	2. फिरोजाबाद
3. बाराबंकी	3. ललितपुर	3. मैनपुरी
4. सुल्तानपुर	**चित्रकूट**	4. मथुरा
5. अमेठी	4. बांदा	**अलीगढ मण्डल**
गोरखपुर मण्डल	5. चित्रकूट	5. अलीगढ
6. गोरखपुर	6. हमीरपुर	6. हाथरस
7. देवरिया	7. महोबा	7. कासगंज
8. महाराजगंज		8. एटा
9. कुशीनगर		**मुरादाबाद मण्डल**
प्रयागराज मण्डल	**मध्यांचल**	9. मुरादाबाद
10. प्रयागराज	**कानपुर मण्डल**	10. बिजनौर
11. कौशाम्बी	1. कानपुर नगर	11. सम्भल
12. फतेहपुर	2. कानपुर देहात (रमाबाईनगर)	12. रामपुर
13. प्रतापगढ	3. झटाया	13. अमरोहा
वाराणसी मण्डल	4. औरैया	**मेरठ मण्डल**
14. वाराणसी	5. फर्रुखाबाद	14. मेरठ
15. चन्दौली	6. कन्नौज	14. बुलन्दशहर
16. जौनपुर	**लखनऊ मण्डल**	16. हापुड
17. गाजीपुर	7. लखनऊ	17. बागपत
मिर्जापुर मण्डल	8. हरदोई	18. गौतमबुद्ध नगर
18. मिर्जापुर	9. लखीमपुर खीरी	19. गाजियाबाद
19. सन्तरविदासनगर (भदोही)	10. रायबरेली	**सहारनपुर मण्डल**
20. सोनभद्र	11. सीतापुर	20. मुजफ्फरनगर
आजमगढ मण्डल	12. उन्नाव	21. शामली
21. आजमगढ		22. सहारनपुर
22. बलिया		**बरेली मण्डल**
23. मऊ		23. बरेली
देवीपाटन मण्डल		24. बदायूँ
24. गोण्डा		25. पीलीभीत
25. बहराइच		26. शाहजहाँपुर
26. बलरामपुर		
27. श्रावस्ती		
बस्ती मण्डल		
28. बस्ती		
29. सन्तकबीरनगर		
30. सिद्धार्थनगर		

Annexure-5

Application Form for Sanction of Letter of Comfort for Service units under UP EVMMP 2022

Part-A: Project Details

Sl	Head	Details	Supporting documents
1	**Unique ID No.**		Nivesh Mitra Registration Form
2	**Name of proposed unit**		DPR in prescribed format
3	**Brief Project details**		DPR in prescribed format
4	**Location of project** **a. District** **b. Region**		DPR in prescribed format
5	**Constitution of unit (Company/ Partnership Firm/ Others)**		Copy of MoA/ AoA/ Partnerships deed/ Byelaws, Etc.
6	**Registration Number of unit**		Copy of Registration certificate
7	**IEC Code (if available)**		
8	**Nature of business of the proposed unit (Tick)**	Charging/ Swapping	
9	**Proposed Investment (INR Cr)**		DPR in prescribed format Format – 10 (C.A certified Investment Break up)
10	**Category of the project (Tick mark)**	Charging Station/ Swapping Station	DPR in prescribed format Format – 10 (C.A certified Investment Break up)
11	**Estimated load sanction (in MW)**		DPR in prescribed format
12	**Status of power connection**		
13	**Estimated Employment**		
14	**Proposed Date of project completion**		DPR in prescribed format
15	**Proposed date of Commencement of Commercial operations**		DPR in prescribed format
16	**Promoter/ Director information (Supported by Copy of PAN & DIN numbers)**		

Sl	Name	Designation	Contact Details (Address/ Mobile/ Email)	PAN & DIN Numbers

17	**Details of authorised signatory**		
	a. Name b. Designation c. Contact details Email Phone no Address		Copy of Board Resolution

	d. PAN No		
18	**Beneficiary Bank Details** (Name, Account No, Name of Bank, IFSC Code)		Copy of Bank Passbook

Part-B: Incentives requested -

Sl	Item	Details
BENEFITS REQUESTED (in INR Cr)		
1	Capital Subsidy	
2	If any incentive claimed under any GoI incentive? (Y/N)	
2A	If Y - Name of such Scheme	
2B	If Y - Incentive claimed (INR Cr)	

Annexure-3

Application Form for Disbursal of Incentives for Service units under UP EVMMP 2022

Part-A: Project Details

Sl	Head	Details	Supporting documents
1	**Unique ID No.**		Nivesh Mitra Registration Form
2	**LoC No & Date of Issuance**		Copy of LoC sanctioned
3	**Name of proposed unit**		
4	**Location of project** **a. District** **b. Region**		Enclose certificate from concern Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre & Chartered Accountant
5	**Actual investment (INR Cr)**		Format – 10 (C.A certified Investment Break up)
6	**Category of the project (Tick mark)**	Charging Station/ Swapping Station	Format – 10 (C.A certified Investment Break up)
7	**Estimated Employment**		
8	**Load sanctioned (in MW)**		Relevant DISCOM documents
9	**Status of power connection**		Relevant DISCOM documents
10	**Capacity of the unit**		Relevant DISCOM documents
11	**Date of project completion**		
12	**Date of Commencement of Commercial operations**		
13	**Status of NoCs (Fire, Pollution)**		Relevant supporting documents

Part B- Incentives claimed –

(1) Details of Incentives Claim (INR Cr)		
Capital Subsidy		
(2) If any incentive claimed under any GoI incentive? (Y/N)		
2A	If Y - Name of such Scheme	
2B	If Y - Incentive claimed under such scheme (INR Cr)	

Note: Besides, the format prescribed in these rules, the applicant will need to submit the following supporting documents –

a) Detailed cost estimates of building and civil works constructed or to be constructed (as per DPR/Appraisal Note) and supported with layout plans and cost estimates prepared by external consultants/CA firms and cost incurred duly certified by statutory auditors.

b) The cost of actual capital investment for service units should be shown itemized in accordance with the provisions of the Rules for scrutiny, verification, and certification.

c) Declaration of commencement of commercial operations

d) 12-Month electricity bill, Certificate from DISCOM or other supporting documents related to load sanctioned, power supply, etc.

e) Documents for NoC/ Clearance obtained from Fire Deptt and Pollution Deptt.

Format – 1

FORMAT FOR DPR FOR MANUFACTURING UNITS (Suggestive)

1. **Executive Summary**
2. **The Project**
   - 2.1 Details of Project & Product
   - 2.2 Capacity & Production
   - 2.3 The Company- (Including Details of Group Companies & Financial Performance during last 3 years)
   - 2.4 Promoters' Background
   - 2.5 Detailed Break up of Cost of Project
     - 2.5.1 Land Cost
     - 2.5.2 Stamp Duty & Registration Fees paid
     - 2.5.3 Building Cost
     - 2.5.4 Other Construction Cost
     - 2.5.5 Plant & Machinery
     - 2.5.6 Cost of Developing Infrastructure facilities
     - 2.5.7 Any other (Cost)
     - 2.5.8 Total-Cost of Project
   - 2.6 Present Status of the Project
3. **Means of financing**
   - 3.1 Equity: - Promoters' Contribution & Source/Internal Accruals/Details of Fund Arrangement from External Sources etc.
   - 3.2 Debt Contribution Source & Cost of Debt
4. **Land Details & Logistics**
   - 4.1 Character of Land
   - 4.2 Requirement of Land Area
   - 4.3 Ownership of the Land
   - 4.4 Present Status of Land
   - 4.5 Location of Land
5. **Details of Proposed Building- Section wise Layout, Measurement, Type of Construction etc.**
6. **Details of Plant & Machinery & MFA**
   - 6.1 Technology Used
   - 6.2 Possible Source of Equipment's/Machine Suppliers
   - 6.3 Cost & Quantity
   - 6.4 Specification & Supplier
   - 6.5 Erection & Commissioning Arrangement
   - 6.6 Pollution/Wastage- Controlling Measures
   - 6.7 Machines to be installed for adhering to pollution norms
7. **Procurement Strategy of Raw Material & Other inputs**
   - 7.1 Raw Material Availability
   - 7.2 Sources of Procurement
   - 7.3 Process of Procurement
   - 7.4 Costing
8. **Narration of Manufacturing Process**

8.1 Process Flow Diagram
8.2 Machine Layout Plan
8.3 Process Flow Table

9. Infrastructure Requirement &Source

9.1 Power
9.2 Water & Sewerage
9.3 Others

10. Manpower Requirement- Breakup

10.1 Direct Manpower Employment Requirement (Skilled, Semiskilled, Unskilled etc.)
10.2 Indirect Employment Generation Possibilities

11. Market

11.1 Sector Background - Market Scenario , Major Players, Demand Supply Gap & Opportunities, Marketing Strategy, Network
11.2 Approach

12. SWOT Analysis

13. Financial Analysis

13.1 Cost Estimates
13.2 Working Capital Requirement
13.3 Revenue Projections
13.4 Fund Flow Statement
13.5 Financial Ratios
13.6 Break Even
13.7 Term loan
13.8 Internal Rate of Return
13.9 Techno-Commercial Viability Assessment
13.10 Project Implementation Key Dates (from first investment to last investment)
13.11 Total Fixed Capital
13.12 Gross Block & Net Worth of the Company

Format – 2

Format for CA/ Statutory Auditors Certificate (with membership no. of CA on their letter head) for Proposed/ Actual Fixed Capital Investment made by the applicant manufacturing unit

M/s. .....,

(Rupees in Crores)

Sl. No.	Particulars	Proposed Investment in the project (As per DPR)	Proposed Investment in the project (As per Bank Appraisal)	Amount invested prior to Cut-off Date (first date of investment)	If any investment made in the proposed project prior to 14.10.2022 , then		If investment made in the proposed project after 14.10.2022 then indicate amount invested from Cut-off Date till the date of commencement of commercial Production (if project is being set up in phases, phase-wise investment be indicated from Cut – off Date)
					Indicate amount invested from Cut-off Datetill 14.10.2022	Indicate amount invested from 14.10.2022 till the date of commencement of commercial Production (if project is being set up in phases, phase-wise investment be indicated from 14.10.2022)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Land Cost (Actual price/ allotment price)			.....			
2.	Stamp Duty paid						
3.	Registration fees paid						
4.	Building Cost						
5.	Other construction cost						
6.	Plant & Machinery						
7.	Cost of developing infrastructure						

	facilities						
8.	Any other cost including In-house R&D (if applicable)						
	Total (1 to 8)						

This is to certify that the above information has been examined by us and duly certified by the authorized signatory of the statutory auditor/Chartered Accountant in support of availing sanction of incentives by M/S..... (name of the company) under UP EVMMP 2022 and found correct. **We hereby also certify that no investment has been made in the proposed project prior to first date of investment.**

(Signature, Address, Seal & Membership No. of Chartered Accountant) OR (Signature of the Authorized Signatory of Statutory Auditor)

Format – 3

Format for CA/ Statutory Auditors Certificate (with membership no. of CA on their letter head) for Proposed/ Actual Sources of Investment made by the applicant manufacturing unit

M/s. .....

(Rupees in Crores)

S.No.	Particulars	Proposed Investment in the project (As per DPR)	Proposed Investment in the project (As per Bank Appraisal)	Amount invested prior to Cut-off Date (first date of investment)	If any investment made in the proposed project prior to 14.10.2022, then		If investment made in the proposed project after 14.10.2022 then indicate amount invested from Cut-off Date till the date of commencement of commercial Production (if project is being set up in phases, phase-wise investment be indicated from Cut – off Date)
					Indicate amount invested from Cut-off Datetill 14.10.2022	Indicate amount invested from 14.10.2022 till the date of commencement of commercial Production (if project is being set up in phases, phase-wise investment be indicated from 14.10.2022)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0	**Equity**						
1.1	Equity Share Capital						
1.2	Internal Cash Accruals						
1.3	Interest Free Unsecured Loans						
1.4	Security Deposit						
1.5	Advances from Dealers						
1.6	Other, If any						

2.0	Loans						
2.1	From FI's						
2.2	From Bank						
2.3	Other, If any						
3.0	Total						

This is to certify that the above information has been examined by us and duly certified by the authorized signatory of the statutory auditor/Chartered Accountant in support of availing sanction of incentives by M/S..... (name of the company) under UP EVMMP 2022 and found correct. **We hereby also certify that no investment has been made in the proposed project prior to first date of investment.**

(Signature, Address, Seal & Membership No. of Chartered Accountant) OR (Signature of the Authorized Signatory of Statutory Auditor)

Format – 4

Self Declaration

The information provided while filling online form on Nivesh Mitra Portal to avail sanction of incentives under UP EVMMP 2022 is completely true, and no fact has been concealed or misrepresented. It is further certified that the company has not applied for benefits under any sector-specific or other policy of the Government of Uttar Pradesh.

It is also certified that, the details of financial assistance taken from Government of India Schemes, if any as provided in the application is true and in case of any dovetailing of this scheme with Central Government policies/schemes, the Company would not claim incentives more than upper ceiling defined in the policy from all the schemes put together and in such a case Government of Uttar Pradesh financial assistance shall be reduced to that extent.

I/we hereby agree that I/we shall forthwith repay the benefits released to me/us under UP EVMMP 2022, if the said benefits are found to be disbursed in excess of the amount actually admissible whatsoever the reason.

Signature of Authorised Signatory with

Name, Designation and Office Seal

Date:

Place:

Format 5

Details of Raw Material and other overheads

(1) Details of Raw material procured							
Sl	GSTIN of the Supplier	Name of the Supplier	Invoice Details				
			Invoice No.	Date	Unit	Taxable Value	Tax amount
(2) Details of Overhead charges							
2A	Bills of Electricity/Power/ Fuel						
2B	Labour Payment & PF Challan					PF Challan & Payment details	
2C	Insurance Cover (INR Cr)						

Format 6

Details of Plant & Machinery

Sl.	Head	Details	Documents Required
1	**Manufacturing Process flow**		Separate Process Flow to be attached
2	**Manufacturing Basis**	Labour intensive/ Machine Intensive	
3	**Production Capacity (Product wise)**		Detailed report may be attached
4	**Standard Manufacturing Period (in months)**		

5	**Installed Machinery**							
Sl	GSTIN of the Supplier	Name of the Supplier	Invoice Details					
			Invoice No.	Date	Unit	Taxable Value	Tax amount	Capacity of Output in units

6	**Input Out Ratio** (Year wise)	Year1	Year2	Year 3	Year4	Year5

Format-7

Details of Actual Production

Actual Production		
Product Name:----------	Production Qty (in units)	Production Value (in INR Crores)
Phase-1 (FY_)		
Phase-2 (FY_)		
Phase-3 (FY_)		

Format 8

Details of Stock Insurance Cover

Details of Insurance cover						
Sl	Name of Insurance Co.	Policy No.	Sum Assured	Amount of Stock	Validity from—to—	Insurance Coverage

Format – 9

FORMAT FOR DPR FOR SERVICE UNITS (Suggestive)

1. **Executive Summary**
2. **The Project**
   - 2.1 Details of Project
   - 2.2 Capacity
   - 2.3 The Company- (Including Details of Group Companies & Financial Performance during last 3 years)
   - 2.4 Promoters' Background
   - 2.5 Detailed Break up of Cost of Project
   - 2.6 Present Status of the Project
3. **Means of financing**
4. **Land Details & Logistics**
   - 4.1 Character of Land
   - 4.2 Requirement of Land Area
   - 4.3 Ownership of the Land
   - 4.4 Present Status of Land
   - 4.5 Location of Land
5. **Details of Proposed Building- Layout, Measurement, Type of Construction etc.** (Details of specifications in-line with MoHUA & MoP Guidelines)
6. **Details of Fixed Assets**
   - 6.1 Type of Chargers Used
   - 6.2 Technology Used
   - 6.3 Source of Chargers/ Technology used
   - 6.4 Cost & Quantity
   - 6.5 Specifications
   - 6.6 Pollution/Wastage- Controlling Measures
7. **Power Arrangements**
   - 7.1 Estimated/ Actual Load sanctioned
   - 7.2 Estimated power consumption
   - 7.3 Other details
8. **Narration of Process**
9. **Manpower Requirement- Breakup**
10. **Market Scenario and approach**
11. **SWOT Analysis**
12. **Financial Analysis**
    - 12.1. Cost Estimates, Revenue Projections, Techno-Commercial Viability Assessment, etc
    - 12.2. Project Implementation Key Dates (from first investment to last investment)
    - 12.1 Total Fixed Capital and Gross Block & Net Worth of the Company

Format - 10

Format for CA/ Statutory Auditors Certificate (with membership no. of CA on their letter head) for Proposed/ Actual Fixed Capital Investment made by the applicant for Service Units

M/s. .....

(Rupees in Crores)

Sl. No.	Particulars	Proposed Investment in the project (As per DPR)	Proposed Investment in the project (As per Bank Appraisal)	Amount invested prior to Cut-off Date (first date of investment)	If any investment made in the proposed project prior to 14.10.2022 , then		If investment made in the proposed project after 14.10.2022 then indicate amount invested from Cut-off Date till the date of commencement of commercial Production (if project is being set up in phases, phase-wise investment be indicated from Cut – off Date)
					Indicate amount invested from Cut-off Datetill 14.10.2022	Indicate amount invested from 14.10.2022 till the date of commencement of commercial Production (if project is being set up in phases, phase-wise investment be indicated from 14.10.2022)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Building Cost						
2.	Other construction cost						
3.	Cost of Chargers/ Swapping points						
4.	Cost of developing infrastructure facilities						
5.	Any other cost)						
	Total						

This is to certify that the above information has been examined by us and duly certified by the authorized signatory of the statutory auditor/Chartered Accountant in support of

availing sanction of incentives by M/S..... (name of the company) under UP EVMMP 2022 and found correct. **We hereby also certify that no investment has been made in the proposed project prior to first date of investment.**

(Signature, Address, Seal & Membership No. of Chartered Accountant) OR (Signature of the Authorized Signatory of Statutory Auditor)

Format – 11

Format for CA/ Statutory Auditors Certificate (with membership no. of CA on their letter head) for Proposed/ Actual Sources of Investment made by the applicant for Service Units

M/s. .....

(Rupees in Crores)

S.No.	Particulars	Proposed Investment in the project (As per DPR)	Proposed Investment in the project (As per Bank Appraisal)	Amount invested prior to Cut-off Date (first date of investment)	If any investment made in the proposed project prior to 14.10.2022, then		If investment made in the proposed project after 14.10.2022 then indicate amount invested from Cut-off Date till the date of commencement of commercial Production (if project is being set up in phases, phase-wise investment be indicated from Cut – off Date)
					Indicate amount invested from Cut-off Datetill 14.10.2022	Indicate amount invested from 14.10.2022 till the date of commencement of commercial Production (if project is being set up in phases, phase-wise investment be indicated from 14.10.2022)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0	**Equity**						
1.1	Equity Share Capital						
1.2	Internal Cash Accruals						
1.3	Interest Free Unsecured Loans						
1.4	Security Deposit						
1.5	Advances from Dealers						
1.6	Other, If any						

2.0	Loans						
2.1	From FI's						
2.2	From Bank						
2.3	Other, If any						
3.0	Total						

This is to certify that the above information has been examined by us and duly certified by the authorized signatory of the statutory auditor/Chartered Accountant in support of availing sanction of incentives by M/S..... (name of the company) under UP EVMMP 2022 and found correct. **We hereby also certify that no investment has been made in the proposed project prior to first date of investment.**

(Signature, Address, Seal & Membership No. of Chartered Accountant) OR (Signature of the Authorized Signatory of Statutory Auditor)